न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, अजमेर, जिला–अजमेर (राज.) एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–1 अजमेर (राज०)
पीठासीन अधिकारी – भानु कुमार, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांक: 05.06.2026
सेशन प्रकरण संख्या 13/2015
सी.आई.एस. नंबर 342/2021

परिवाद ईकाई प्रकरण संख्या 02/2015
प्रकरण संख्या–VIII(IO) 2/NCB/ ASZ/2015
अपराध अंतर्गत धारा 8/21, 8/22, 8/25 एनडीपीएस एक्ट

PART– I

(क)

परिवादी	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो उप क्षेत्रीय इकाई, अजमेर द्वितीय मंजिल, आर.एल.यू., बी.एस.एन.एल., एक्सचेंज बिल्डिंग, वैशाली नगर, अजमेर जरिए कुलभूषण सिंह, आसूचना अधिकारी।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अशोक कुमार अग्रवाल, विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त	ओमप्रकाश रावत पुत्र पन्नासिंह रावत, उम्र 50 वर्ष, निवासी नई बस्ती, पीली खान, लोहागल रोड़, वार्ड नंबर 51, अजमेर
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अरशद खानं, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

(ख)

अपराध की दिनांक	10–06–2015
एफ.आई.आर. की दिनांक	––
आरोप पत्र की दिनांक	07–08–2015
आरोप सुनाये जाने की दिनांक	23–01–2016
साक्ष्य आरम्भ की दिनांक	30–03–2016
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि	05–06–2026
निर्णय सुनाने की दिनांक	05–06–2026
दण्डादेश (यदि हो तो) का दिनांक	05–06–2026

Authenticated document

(ग)
अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः

अभियुक्त का क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोष सिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश का विवरण	धारा 428 द.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
1	ओमप्रकाश	10.06.2015	18.08.15	8 21, 8/22, 8/25 एनडीपीएस एक्ट	दोषसिद्ध	धारा 8/21,8/22 व 8/25 एनडीपीएस में क्रमशः 5-5 साल के कठोर कारावास व पचास-पचास हजार रूपये का अर्थदण्ड	10.06.2015 से 18.08.15

PART– II
साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी
(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
पी.डब्ल्यू.-01	दीपक मेडतिया	सूचना, कार्यालय आदेश, गवाह बनने हेतु दिए गए नोटिस की कार्बन प्रति, गवाहरों के द्वारा दी गई सहमति, व्यक्तिगत तलाशी हेतु धारा 50 का नोटिस, अभियुक्त की जामा तलाशी के दौरान जब्त सामान की फर्द, नक्शा मौका, वजन तालिका, फर्द जब्ती वाहन, नमूना सील, पंचनामा, धारा 67 का नोटिस, धारा 67 के तहत उसके समक्ष दिए गए बयान, फर्द गिरफतारी, गिरफतारी की सूचना, मेडिकल मुआयना, फार्म 01 सामान व मोटरसाईकिल एनसीबी मालखाना में जमा करवाने, सैम्पत, जामा तलाशी सामान व मोटरसाईकिल बाबत, धारा 57 एनडीपीएस की रिपोर्ट, टेस्ट मीमो, एफ.एस.एल. रिपोर्ट, अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्तशुदा मादक पदार्थ एम्फटीन बाबत दिया गया पत्र एवं उसका जवाब, मादक पदार्थ का पैकिट, कन्ट्रोल सैंपल, मोटरसाईकिल फोटो व अन्य

पी.डब्ल्यू.–02	लेखराज	पत्र, सहमति पत्र, जामा तलाशी, नक्शा मौका फर्द वजन तालिका, वाहन जब्ती, नमूना सील, पंचनामा, बयान धारा 67 दण्ड प्रक्रिया संहिता
पी.डब्ल्यू.–03	मनोज	गवाह बनने हेतु सहमति पत्र, जामा तलाशी, नक्शा मौका, वजन तालिका, वाहन जब्ती, नमूना सील, पंचनामा, बयान 67 दण्ड प्रक्रिया संहिता, फोटोग्राफ
पी.डब्ल्यू.–04	गणपत सिंह	ईकरारनामा
पी.डब्ल्यू.–05	गिरधारीलाल कुमावत	कार्यवाही के दौरान टीम सदस्य
पी.डब्ल्यू.–06	हरीश कुमार	सूचना, कार्यालय आदेश, प्राप्ति रसीद, धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की अनुपालना रिपोर्ट, नमूना सैंपल को परीक्षण हेतु भेजा गया पत्र, सैंपल जमा कराने की प्राप्ति रसीद, सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट, जब्तशुदा हीरोईन, मेफिड्रोन व मोटरसाईकिल के इन्वेन्ट्री सत्यापन का प्रार्थना पत्र, इन्वेन्ट्री रिपोर्ट, मालखाना रजिस्टर व तलाशी रजिस्टर
पी.डब्ल्यू.–07	राजेश सौलंकी	इन्वेन्ट्री कार्यवाही कराने के संबंध में
पी.डब्ल्यू.–08	आशीष कुमार कुमावत	इन्वेन्ट्री कार्यवाही करने के संबंध में
पी.डब्ल्यू.–09	कुलभूषण सिंह	अनुसंधान अधिकारी

(B) बचाव साक्षी

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
–	–	–

(C) न्यायालय साक्षी

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.	**प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा**	**वर्णन**

सं.	प्रदर्शित	
1	प्रदर्श पी–01	जब्ती कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह हेतु अनुरोध पत्र
2	प्रदर्श पी–02	स्वतंत्र गवाह बनने के संबंध में सहमति पत्र
3	प्रदर्श पी–03	फर्द जामा तलाशी
4	प्रदर्श पी–04	फर्द नक्शा मौका
5	प्रदर्श पी–05	फर्द वजन तालिका
6	प्रदर्श पी–06	फर्द वाहन जब्ती
7	प्रदर्श पी–07	फर्द नमूना सील
8	प्रदर्श पी–08	पंचनामा
9	प्रदर्श पी–09	स्वेच्छिक बयान लेखराज
10	प्रदर्श पी–10	जब्ती कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह हेतु अनुरोध मनोज नाथ
11	प्रदर्श पी–11	सहमति पत्र मनोज नाथ
12	प्रदर्श पी–12	स्वेच्छिक बयान मनोज नाथ
13	प्रदर्श पी–13 लगायत 17	फोटोग्राफ
14	प्रदर्श पी–18	FORM–NCB–1 INFORMATION REPORT
15	प्रदर्श पी–19	कार्यालय आदेश दिनांक 10–06–2015
16	प्रदर्श पी–20	व्यक्तिगत तलाशी के संबंध में फर्द
17	प्रदर्श पी–21	धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सम्मन
18	प्रदर्श पी–22	स्वेच्छिक बयान ओमप्रकाश
19	प्रदर्श पी–23	गिरफतारी मेमो
20	प्रदर्श पी–24	फर्द गिरफतारी सूचना
21	प्रदर्श पी–25	मेडिकल मुआयना हेतु प्रार्थना पत्र
22	प्रदर्श पी–26	सील्ड पैकिट की प्राप्ति रसीद
23	प्रदर्श पी–27 से 29	FORM–1
24	प्रदर्श पी–30	एनडीपीएस एक्ट की धारा 51 की अनुपालना बाबत रिपोर्ट
25	प्रदर्श पी–31 व 32	टेस्ट मीमो
26	प्रदर्श पी–33	CRCL New Delhi report–reg पत्र दिनांक 03–08–2015
27	प्रदर्श पी–34	CRCL New Delhi Report reg.
28	पुनः प्रदर्श पी–34	इकरारनामा बाबत बेचान
29	प्रदर्श पी–35	Chemical examiner को सैंपल टैस्ट के लिए लिखा गया पत्र दिनांक 11–06–2014
30	प्रदर्श पी–36	सैंपल रिसीप्ट
31	प्रदर्श पी–37	इन्वेन्ट्री हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
32	प्रदर्श पी–38	Annexure–1

33	प्रदर्श पी–39	इन्वेन्ट्री रिपोर्ट भिजवाने बाबत अग्रेषण पत्र
34	प्रदर्श पी–39 ए से 42 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
35	प्रदर्श पी–43 से 47	इन्वेन्ट्री रिपोर्ट व संबंधित कागजात, फोटोग्राफ
36	प्रदर्श पी–48	आर.टी.ओ. अजमेर को Requiring details of seized vehicle हेतु जारी पत्र
37	प्रदर्श पी–49	धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सम्मन
38	प्रदर्श पी–50	स्वेच्छिक बयान गणपत सिंह
39	प्रदर्श पी–51	पहचान पत्र की प्रति गणपत
40	प्रदर्श पी–52	धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सम्मन लेखराज
41	प्रदर्श पी–53	धारा 67 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सम्मन मनोज नाथ
42	प्रदर्श पी–54	CDR, SDR AND Customer application form हेतु नॉडल आफिसर, एयरटेल, अजमेर को पत्र

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
NIL		

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
NIL			

1– विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.2/13/न्याय 2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पृष्ठांकन क्रमांक Gen/II/15/2019/895 एवं माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर के आदेश क्रमांक Gen/II/9/2022/896 की पालना में हस्तगत पत्रावली विधिवत् विचारण एवं निस्तारणार्थ प्राप्त हुई।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं परिवादी कुलभूषण सिंह, आसूचना अधिकारी, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो उप क्षेत्रीय इकाई, अजमेर ने न्यायालय में दिनांक 07–

08-2015 को एक परिवाद इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 10-06-2015 को दीपक मेड़तिया, आसूचना अधिकारी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम ओमप्रकाश रावत पुत्र पन्ना सिंह रावत, उम्र 33 वर्ष, निवासी नई बस्ती, पीलीखान, लोहागल रोड़, वार्ड नं. 51, अजमेर (राज.) दिनांक 10.06.2015 को समय लगभग 10 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर के बीच एक गहरे रंग की सुजूकी समुराई मोटर साईकिल नंबर RJ01-11M-1573 से राम भवन चौराहा, लोहागल रोड़, दाता नगर, अजमेर से लगभग 25 ग्राम हेरोइन व अन्य मादक पदार्थ (MDMA) अवैध रूप से परिवहन करेगा। उपरोक्त सूचना को दीपक मेड़तिया, आसूचना अधिकारी ने लेखबद्ध किया तथा अधीक्षक उप क्षेत्रिय इकाई अजमेर को प्रस्तुत किया। अधीक्षक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो उप क्षेत्रीय इकाई अजमेर के कार्यालय आदेश संख्या II (3)/NCB/AJM/Estt./2014/421 (ए) दिनांक 10.06.2015 के तहत एक निवारक दल का गठन किया गया तथा निवारक कार्यवाही करने हेतु दीपक मेड़तिया आसूचना अधिकारी, को जब्ती अधिकारी बनाकर टीम का गठन किया गया। आदेशानुसार एवं मुखबिर से प्राप्त सूचना के तहत निवारक दल दिनांक 10.06.2015 को राम भवन चौराहा, लोहागल रोड, दाता नगर, अजमेर पहुंचा। तत्पश्चात् वहां पहुंचने के बाद दीपक मेड़तिया, आसूचना अधिकारी ने वहां खड़े दो व्यक्तियों को अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पूछा। उनमें से एक ने अपना नाम व पता लेखराज पुत्र बीरम, 21 नारेली गांव, तहसील एवं जिला अजमेर बताया एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम व पता मनोज नाथ धर्मावत पुत्र सूरजनाथ धर्मावत, डिग्गी बाजार, रेगर मौहल्ला, अजमेर बताया। तत्पश्चात् दीपक मेड़तिया ने इन दोनों को अपना व टीम के अन्य सदस्यों से परिचय करवाया। इसके पश्चात दीपक मेड़तिया, आसूचना अधिकारी ने उनके पास उपलब्ध गुप्त एवं विश्वसनीय सूचना से उन्हें अवगत कराया कि ओमप्रकाश रावत पुत्र पन्ना सिंह रावत, उम्र 33 वर्ष, निवासी नई बस्ती, पीलीखान, लोहागल रोड़, वार्ड नं. 51. अजमेर (राज.) दिनांक 10.06.2015 को समय लगभग 10 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर के बीच एक गहरे रंग की सुजूकी समुराई मोटर साईकिल नंबर RJ01-11M-1573 से राम भवन चौराहा, लोहागल रोड़, दाता नगर, अजमेर से लगभग 25 ग्राम हेरोइन व अन्य मादक पदार्थ (MDMA) अवैध रूप से परिवहन करेगा। दीपक मेडतिया ने उन दोनों व्यक्तियों से हेरोइन एवं एमफेटामाइन के अभिग्रहण की कार्यवाही के दौरान राष्ट्रहित मे बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने के लिए मौखिक एवं लिखित रूप से आग्रह किया। इस पर उन दोनो व्यक्तियों ने मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी स्वैच्छिक स्वीकृति प्रदान की। दीपक मेड़तिया आसूचना अधिकारी ने स्वतंत्र गवाहों व अपनी टीम के सदस्यों के साथ राम भवन चौराहा, लोहागल रोड, दातानगर, अजमेर एवं उसके आस पास निगरानी कार्य शुरू किया। समय लगभग 11 बजे एक गहरे हरे रंग की सुजूकी समुराई मोटर साईकिल शास्त्री नगर की तरफ से लोहागल रोड़ पर आती दिखाई दी जिसे एक व्यक्ति चला रहा था। नजदीक आने पर मोटर साईकिल का नंबर RJ01 11M 1573 दिखाई दिया तो दीपक मेड़तिया व उनकी टीम ने उसे रामभवन चौराहा, दाता नगर पर रुकवाया व रोड़ के किनारे किया। दीपक मेड़तिया ने अपना व अपनी टीम का परिचय मोटर साईकिल चला रहे व्यक्ति को दिया तथा दोनों पंचानों का परिचय भी मोटर साईकिल चला रहे व्यक्ति को कराया। मोटर साईकिल चला रहे व्यक्ति ने अपना परिचय ओमप्रकाश रावत पुत्र पन्नासिंह रावत, नई बस्ती, पीलीखान, लोहाखान रोड़, वार्ड नं. 51. अजमेर बताया तो पूर्व उपलब्ध सूचना के अनुसार सही था। तत्पश्चात् दीपक मेड़तिया,

आसूचना अधिकारी ने उनको अपने पास उपलब्ध गुप्त सूचना से अवगत कराया एवं पूछा कि क्या आप दोनों अवैध मादक पदार्थ हेरोईन एवं MDMA का व्यापार करते हैं। इस पर पहले तो वह व्यक्ति घबरा गया परन्तु दोबारा पूछने पर स्वीकरा किया कि आप की सूचना सही है और उसके पास अवैध हैरोइन व MDMA का पाउडर है। तत्पश्चात् दीपक मेड़तिया ने ओमप्रकाश रावत को अवैध हेरोइन व MDMA दिखाने को कहा तो ओमप्रकाश रावत ने अपनी पतलून की दाहिनी जेब में एक प्लास्टिक की थैली निकाली जिसमें भूरे रंग का पाउडर था तथा पतलून की बांयी जेब से प्लास्टिक की थैली निकाली जिसमें सफेद रंग का पाउडर था। बरामद पदार्थों को मौके पर DD Kit से जांचने पर प्रथम दृष्ट्या दाहिनी जेब से निकले पदार्थ संभावित हेरोइन जो कि भूरे रंग का पाउडर था एवं बांयी जेब से निकले पदार्थ को संभावित एमफेटामाइन जो कि सफेद रंग का पाउडर था पाया गया। आगे की कार्यवाही करते हुए श्री दीपक मेड़तिया आसूचना अधिकारी ने ओमप्रकाश रावत को एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 50 का नोटिस व्यक्तिगत तलाशी हेतु दिया तथा उसे बताया कि आपका यह कानूनी अधिकार है कि वे चाहे तो अपनी व्यक्तिगत तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या नजदीकी मजिस्ट्रेट से करा सकता है, इस पर ओमप्रकाश रावत ने मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी व्यक्तिगत तलाशी दीपक मेड़तिया आसूचना अधिकारी द्वारा ही करवाने का अनुरोध किया। तत्पश्चात् ओमप्रकाश रावत की व्यक्तिगत तलाशी दीपक मेड़तिया, आसूचना अधिकारी ने ली एवं बरामद सामान की फर्द जामा तलाशी तैयार की जिस पर सभी ने अपने हस्ताक्षर किये। आगे की कार्यवाही करते हुए दीपक मेड़तिया आसूचना अधिकारी ने पंचानों एवं संदिग्ध ओमप्रकाश रावत की उपस्थिति मे फर्द मौका नक्शा तैयार किया जिस पर पंचानों, श्री दीपक मेड़तिया एवं ओमप्रकाश रावत ने हस्ताक्षर किए। उपरोक्त चौराहे पर वाहनों एवं आम जन की अधिक आवाजाही के कारण दीपक मेड़तिया ने जब्त माल मुद्दा ओमप्रकाश रावत एवं जब्त मोटर साईकिल मय अपनी टीम, पंचानों को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. उप क्षेत्रिय इकाई, अजमेर पहुंचे। दीपक मेड़तिया ने इलेक्ट्रोनिक तराजू से उक्त हेरोइन जिसको PI Mark दिया गया था, का वजन किया जो 27 ग्राम पाया गया व जब्त Amphetamine जिसको P2 मार्क दिया गया था, का वजन किया तो 10 ग्राम पाया गया। हेरोइन की प्लास्टिक की थैली में से 5–5 ग्राम प्रत्येक के दो सैम्पल निकाले गये और उनमें मार्का पर्ची PISI व P1S2 डाल कर मार्क किया। सम्भावित Amphetamine की थैली में से 5–5 ग्राम के दो सैम्पल निकाले गये और उनमें मार्का पर्ची P2S1 व P2S2 मार्क पची डाली गई। जब्त सम्भावित हेरोइन एवं एमफेटामाइन को दूसरी प्लास्टिक थैली में डाल कर हीट सील किया व उसको पीले रंग के लिफाफे में डालकर सील चपड़ी किया व लिफाफे पर केस का विवरण लिखा। निकाले गये सैम्पलों को भी पीले रंग के लिफाफे में डाल कर सील चपड़ी किया व लिफाफे पर केस का विवरण लिखा। ओमप्रकाश रावत की जामा तलाशी के दौरान बरामद सामान को पीले रंग के लिफाफे में डालकर सील चपड़ी किया व केस का विवरण लिखा गया। सभी लिफाफों पर व पैकेट P1 P2S2 पर विभागीय सील NCB JZU–3 सील चपड़ी किया गया। जिस पर दीपक मेड़तिया ने दोनों पंचानों व ओमप्रकाश रावत ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये, उसके बाद बरामद सामान माल मुद्दा की फर्द वजन तालिका बनाई गई जिस पर सभी ने अपने हस्ताक्षर किये एवं सभी फर्दो व लिफाफों पर केस का विवरण लिखा। उसके बाद Test Memo की तीन प्रतियां तैयार की गई। तत्पश्चात् कार्यवाही में प्रयोग की गई विभागीय मोहर NCB JZU–

3 JODHPUR की फर्द नमुना सील तैयार की गई जिस पर सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। उक्त मादक पदार्थ अवैध हेरोइन व एमफेटामाइन की जब्ती कार्यवाही दिनांक 10–06–2015 को पंचानों के समक्ष समय 11 बजे से 2 बजे तक सौहार्दपूर्ण वातावरण मे सम्पन्न हुई। अवैध मादक पदार्थ हेरोइन व एमफेटामाइन की जब्ती का पंचनामा दोनों पंचानों व ओमप्रकाश रावत को पढ़कर सुनाया गया तथा सही पाये जाने पर पंचानों एवं संदिग्ध ओमप्रकाश रावत ने अपने–अपने हस्ताक्षर किए। उक्त दिनांक 10–06–2015 को श्री दीपक मेड़तिया आसूचना अधिकारी द्वारा ओमप्रकाश रावत को उनके स्वैच्छिक बयान देने हेतु एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 67 का नोटिस दिया गया। ओमप्रकाश रावत ने दिनांक 10–06–2015 को अपने दिये गये स्वैच्छिक बयानों एवं मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त पाये जाने पर एन.डी.पी.एस एक्ट 1985 की धारा 8/21, 22, 25 के अन्तर्गत दीपक मेड़तिया, आसूचना अधिकारी द्वारा संदिग्ध ओमप्रकाश रावत को गिरफ्तार किया गया।

3– उक्त परिवाद आधार पर अन्तर्गत धारा 8/21, 8/22 व 8/25 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 (जिसे आगे 'अधिनियम 1985' से सम्बोधित किया जा रहा है) के तहत प्रकरण सं. 02/2015 पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जाकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4– बहस आरोप सुनने के पश्चात मुलजिम ओमप्रकाश को "अधिनियम, 1985" की धारा 8/21, 8/22 व 8/25 के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5– अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया, जिस पर अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाये जाने कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

6– बहस उभयपक्ष सुनी गई, दौराने विशिष्ट लोक अभियोजक एन सी बी ने बहस के दौरान अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य सही और विश्वसनीय बताते हुए, निवेदन किया है कि पत्रावली पर अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा दौराने बहस यह कथन किये है कि धारा 50, अधिनियम, 1985 की जब्ती अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से पालना की गई है, जिसकी ताईद अन्य अभियोजन साक्षीगण द्वारा की गई है व अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्ष्य अखण्डित रही है, अभियोजन की ओर से पेश किये गये समस्त साक्षीगण द्वारा अभियुक्त के कब्जे से मादक पदार्थ की जब्ती को प्रमाणित किया है तथा वह अपने आधिपत्य की मोटर साईकिल से मादक पदार्थ का परिवहन कर रहा था, समस्त विधिक प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की गई है, अतः साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने समस्त अभियोजन कहानी को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित बताते हुए, अभियुक्त को आरोपित अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध

घोषित किये जाने का निवेदन किया है, अपने पक्ष के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये है–

01– 2022 Live Law (SC) 100 Page 03
02– Cr. Appeal 1565/2019, बलजिन्दर सिंह बनाम पंजाब, आदेश दिनांक 23–04–2020
03– Cr. Appeal 3434/2023 केरला बनाम प्रभू आदेश दिनांक 20–08–2024
04– Cr. Appeal No. 1020–21/2009 गिरीश रघुनाथ मेहता बनाम कस्टम, आदेश दिनांक
05– Cr. Appeal No. 652/2012 भारत संघ बनाम मोहनलाल आदेश दिनांक 28–10–2016
06– Cr. Appeal No. 5544/2024 एन.सी.बी. बनाम काशिफ आदेश दिनांक 24–12–2024
07– Cr. Appeal No. 250/2025 भारत आम्बले बनाम छत्तीसगढ़ आदेश दिनांक 06–01–2025.
08– Cr. Appeal No. 1164/2009 राजू उर्फ राजेन्द्र बनाम राजस्थान, आदेश दिनांक 13–01–2012
09– Cr. Appeal No. 276–78/2018 आदेश दिनांक 16–02–2018 (SC)
10– Misc. Cr. Case No. 3353/2021, कमरूदीन बनाम भारत संघ दिनांक 09–02–2022

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

7– विद्वान अधिवक्ता की ओर से उक्त के विपरीत बहस मुख्यतः इस प्रकार की गई है कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जब्ती अधिकारी व अनुसंधानाधिकारी द्वारा 'अधिनियम 1985' की धारा 50 के तहत जब्ती अधिकारी द्वारा पालना नहीं की गई है व पहले ही ब रामदगी कर ली गई है एवं मादक पदार्थ बाद जाँच कम होना बताया गया है, एवं स्वतंत्र गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुऐ है, जिससे अभियोजन कथा संदिग्ध हो जाती है, अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन कहानी के विपरीत जाकर कथन किये है,एवं परीक्षित अभियोजन गवाहान में महत्वपूर्ण विरोधाभास परिलक्षित हुआ है एवं धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस के पूर्व ही तलाशी ली गई है व अभियुक्त को मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाने का विकल्प अकित नहीं है, फलतः धारा 50 अधिनियम, 1985 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी कथन रहा है कि स्वतंत्र गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुऐ है और वे अभियोजन कहानी का किसी प्रकार से समर्थन नहीं करते है, ऐसे में प्रकरण के जप्ती एवं अन्य कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती है। अधिवक्ता अभियुक्त का दौराने बहस यह भी कथन रहा है कि मादक पदार्थ की बरामदगी के संबंध में अभियोजन साक्ष्य में विरोधाभास आऐ है,इसलिए अभियुक्त दोषमुक्ति पाने का अधिकारी है।

8– मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं संबंधित विधि का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ अवधारणीय बिन्दु यह है किः–

(1) 'क्या दिनांक 10–06–2015 को सुबह करीब 11.00 बजे के लगभग रामभवन चौराहा, दातानगर, अजमेर में आसूचना अधिकारी दीपक मेड़तिया ने अभियुक्त की नियमानुसार तलाशी ली तो अभियुक्त की पतलून की दाहिनी जेब में एक प्लास्टिक की थैली में 27 ग्राम वजन का भूरे रंग का पाउडरनुमा मादक पदार्थ हेरोईन व बाईं जेब में एक प्लास्टिक की थैली में 10 ग्राम वजन का सफेद रंग का एम्फिटामाइन रूपी पाउडर मिला, जो जांच पर मेफेड्रोन पाया गया, बरामद हुआ, जो अभियुक्त बिना वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद हुआ। उक्त अवैध हेरोइन व मेफेड्रोन अभियुक्त अपनी मिल्कियत व आधिपत्य के वाहन सुजुकी समुराई मोटरसाईकिल नंबर आरजे 01 11M 1573 जिसका अभियुक्त चालक रहा है, पर बैठ कर परिवहन कर रहा था?
(2) यदि हाँ, तो मुलजिम के लिए उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

9– उक्त विचारणीय बिन्दू को प्रमाणित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष को अपनी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह सिद्ध करना है कि प्रकरण में बरामदगी/जब्ती अधिकारी द्वारा विधि अनुसार अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुऐ अभियुक्त से अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी की गई तथा अभियुक्त के पास अवैध मादक पदार्थ रखने का कोई लाईसेंस व परमिट नहीं था।

10. अभियुक्त से अवैध मादक पदार्थ हेरोइन व मेफेड्रोन की बरामदगी के बिन्दू को साबित करने के क्रम में प्रकरण के जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू 1 दीपक मेडतिया का सशपथ कथन रहा है कि दिनांक 10.06.2015 को वह एनसीबी अजमेर कार्यालय में आसूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन समय 9.00 बजे उसे मुखबीर से गुप्त सूचना मिली की एक व्यक्ति जिसका नाम ओमप्रकाश रावत पीलीखान लोहागल रोड निवासी है, जो मोटरसाईकिल आरजे 01 11 एम 1573 से 25 ग्राम हैरोइन एवं अन्य मादक पदार्थ एमडीएमए का परिवहन रामभवन चौराहा, दाता नगर अजमेर से करेगा। इसकी सूचना उसने लिखित रूप से अपने अधीक्षक को दी जिस पर उन्होंने एक कार्यलय आदेश जारी करते हुए एक टीम का गठन किया और उसे जब्ती अधिकारी बनाया। तत्पश्चात् सुबह 10.00 बजे वह अपनी टीम के साथ रामभवन चैराहा, लोहागल रोड़ पर पहुंचा तथा वहां खडे दो व्यक्ति से अपना परिचय और अपनी टीम का परिचय दिया और उनका परिचय पूछा तो उनमे से एक ने अपना नाम लेखराज बताया एवं दूसरे ने अपना नाम मनोज बताया। उसके बाद उसने उन्हें अपने पास गुप्त सूचना से अवगत करवाया और उन्हें कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने के लिए मौखिक एवं लिखित रूप से सहमति पूछी जिस पर उन्होंने अपनी सहमति लिखित और मौखिक रूप से दी। उसके बाद वह अपनी टीम के साथ रामभवन चौराहे पर निगरानी करने लगा। समय लगभग 11.00 बजे शास्त्री नगर की तरफ से एक गहरे रंग की

मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति को आते देखा। नजदीक आने पर उस मोटर साईकिल का नम्बर आरजे 01 11 एम 1573 था। तुरन्त उसने और उसकी टीम ने उसे रोका और सड़क से साईड मे लाये, जिस व्यक्ति ने अपना नाम ओमप्रकाश रावत बताया। उसके बाद उसने उसे अपने पास उपलब्ध सूचना से अवगत करवाया कि जिस पर पहले व घबराया परन्तु बाद में दोबारा पूछने पर उसने स्वीकार किया कि वह अवैध मादक पदार्थ का परिवहन कर रहा है। उसके बाद उसने उसके पास उपलब्ध मादक पदार्थ को दिखाने को कहा जिस पर उसने अपनी पतलून की दाहिने जेब से एक प्लास्टिक की थैली निकाली जिसमें भूरे रंग का पदार्थ था एवं पतलून की बायी जेब भी एक प्लास्टिक की थैली निकाली जिसमें सफेद रंग का पदार्थ था। उसने तुरन्त ही दोनों पदार्थो का अपने पास उपलब्ध डीडी किट से चैक किया, जिसमे भूरे रंग का पदार्थ का हैरोईन होना पाया एवं सफेद रंग के पदार्थ को एम्फटामाईन होना पाया। उसके बाद उसने ओमप्रकाश रावत को एनडीपीएस एक्ट धारा 50 का नोटिस दिया तथा उसे मौखिक और लिखित रूप से समझाया की वह अपनी तलाशी नजदीकी किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष करवा सकता है जिस पर उसने अपनी लिखित एवं मौखिक सहमति दी कि वह अपनी व्यक्तिगत तलाशी उससे ही करवाना चाहता है। उसके बाद उसने वहां फर्द नक्शामौका तैयार किया एवं जामा तलासी फर्द तैयार की। उसके बाद वाहनों की आवाजाही की वजह से वह उसे अपने एनसीबी कार्यालय वैशाली नगर ले गया। कार्यालय में आने के बाद उसने फर्द वजन तालिका तैयार की और भूरे रंग के पदार्थ को अपने पास उपलबध ईलैक्ट्रोनिक मशीन से उसका वजन किया तो उसे 27 ग्राम पाया एवं सफेद रंग के पदार्थ का वजन करने पर उसका वजन 10 ग्राम पाया, उसके बाद उसने दोनों पदार्थों में से 5–5 ग्राम के सैम्पल निकाले और उन्हें मार्का पी–1 एस–1 व पी–1 एस–2 एवं पी–2 एस–1 व पी–2 एस–2 दिया। उसके बाद भूरे रंग के बचे हुए पदार्थ को उसने एक प्लास्टिक की थैली में डालकर सील किया और उसे एक पीले लिफाफे में डालकर सील चपडी किया और उस पर मार्का पी–1 डाला। दोनों सैम्पल जो निकाल थे उन्हें भी एक प्लास्टिक की थैली में डालकर सील किया और पीले लिफाफे में डालकर सील चपडी किया। सभी फर्दो एवं जब्तमाल और सैम्पल पर उसने अपने मुल्जिमान के एवं गवाहों के हस्ताक्षर लिए जिन्हें वह अपनी टीम के साथ मौके से मुल्जिमान व जब्त पदार्थो के साथ अपने कार्यालय में लाया था। उसके बाद उसने मोटरसाईकल जब्ती की फर्द बनाई एवं कार्यवाही में हुई इस्तेमाल सील की फर्द बनाई। सील एनसीबी जे जैडयू–3 जोधपुर मार्का की थी। उसके बाद उसने टैस्टमीमों की तीन प्रतियां तैयार की। इस पूरी कार्यवाही का उसने पंचनामा तैयार किया। उसके बाद उसने ओमप्रकाश रावत को धारा 67 का नोटिस दिया एवं उसे बताया कि यह उसके बयान उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में पेश किये जा सकते है। उसके बाद ओमप्रकाश रावत ने अपनी खुद की हस्तलिपि में अपने बयान दर्ज करवाये थे। जिस पर उसने व ओमप्रकाश रावत ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया, जिसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई। कार्यवाही के पश्चात् उसने जब्तशुदा मादक पदार्थ वाहन व सैम्पल व जामा तलाशी का सामान एनसीबी मालखाना में एनसीबी–1 फार्म के जरिये तत्समय मालखाना इन्चार्ज हरीश कुमार को सुपुर्द किया और रसीद प्राप्त की जो पत्रावली में है। जब्ती की समस्त कार्यवाही, अभियुक्त की गिरफ्तारी व जब्तशुदा माल सैम्पल, मोटरसाईकल व जामातलाशी का सामान मालखाने में जमा करवाने के पश्चात् इस समस्त कार्यवाही की रिपोर्ट धारा 57 की पालना में लिखित रिपोर्ट अधीक्षक महोदय को पेश की जिन्होंने अवलोकन कर व अपने हस्ताक्षर कर उसे पुनः लौटा दी। इस प्रकरण में उसके द्वारा बताया गया मादक पदार्थ हैरोईन व एम्फटामीन में से एम्फटामीन के सैम्पल के बारे में एफएसएल से रिपोर्ट में एम्फटामीन को एमडीएमए बताया गया है। उनके पास जो डीडी किट होता है उसमें रंग का कॉम्बीनिशेन से वे तय करते है कि मादक पदार्थ कौनसा है। जिसकी निकटतम संभावना के अनुसार ही उसने उस समय एम्फटामीन होना पाया था परन्तु एफएसएल द्वारा रिपोर्ट में जिस पदार्थ का अंकन किया गया है वह सही माना जा सकता है।

Authenticated document

उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण में यह भी कथन किया है कि प्रदर्श पी–18 सूचना उसे प्राप्त हुई थी, प्रदर्श पी–19 कार्यालय आदेश है जिसके द्वारा अधीक्षक ने उसे जब्ती अधिकारी बनाया गया, प्रदर्श पी–1 गवाह लेखराज प्रदर्श पी–10 मनोज नाथ को गवाह बनने हेतु दिये गये नोटिस की कार्बन प्रति है, प्रदर्श पी–2 व प्रदर्श पी–11 गवाहों के द्वारा दी गई सहमति है, प्रदर्श पी–20 व्यक्तिगत तलाशी हेतु धारा 50 का नोटिस है, प्रदर्श पी 3 अभियुक्त की जामा तलाशी के दौरान् जब्त सामान की फर्द है, घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी–4 है। प्रदर्श पी–5 अभियुक्त से बरामद माल की वजन तालिका है। प्रदर्श पी–6 फर्द जब्ती वाहन है। प्रदर्श पी–7 फर्द नमूना सील है जो एक्स स्थान पर अंकित है। प्रदर्श पी–8 समस्त कार्यवाही का पंचनामा है इस पर एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। इस प्रकरण उसके द्वारा धारा 67 का नोटिस दिया गया जो प्रदर्श पी–21 है, उसके समक्ष दिया गया बयान प्रदर्श पी–22 है, अभियुक्त से मादक पदार्थ बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया जिसकी फर्द प्रदर्श पी–23 है, गिरफ्तारी की सूचना दी गई जिसकी फर्द प्रदर्श पी–24, अभियुक्त का मैडिकल मुआयाना करवाया गया जो प्रदर्श पी–25 है, उसके द्वारा इस प्रकरण में जब्तशुदा माल व सैम्पल, व्यक्तिगत तलाशी का सामान व मोटरसाईकल एनसीबी मालखाना में जमा करवाई गई जिस बाबत् फार्म–1 प्रदर्श पी–26 माल बाबत्, प्रदर्श पी–27 सैम्पल बाबत्, प्रदर्श पी–28 जामा तलाशी सामान बाबत्, प्रदर्श पी–29 मोटरसाईकल बाबत् है, धारा 57 एनडीपीएस की रिपोर्ट अधीक्षक के समक्ष पेश की जो प्रदर्श पी–30 है, उसके द्वारा मौके की कार्यवाही के बाद टैस्ट मीमों बनाया गया जो प्रदर्श पी–31 है, प्रदर्श पी–32 एफएसएल रिपोर्ट है जिस पर एक्स स्थान पर नमूना सील है जिसके नीचे सी से डी व ई से एफ पुश्त पर एफएसएल जॉच रिपोर्ट है। इस प्रकरण में अनुसंधान के दौरान् प्रदर्श पी–33 अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसे जब्तशुदा मादक पदार्थ एम्फटीन के संबंध में दिया गया क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट में मैफिड़ोन होना पाया गया था जिस संबंध में उसके द्वारा दिया गया जवाब प्रदर्श पी–34 है, प्रदर्श पी–13 पर मादक पदार्थ का पैकट पी–1 दर्शित है, प्रदर्श पी–14, प्रदर्श पी–15 निकाले गये कन्ट्रोल सैम्पल पी–1 एस–2 व पी–2 एस–2 है। प्रदर्श पी–16 व प्रदर्श पी–17 में दर्शित मोटरसाईकिल पर अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थ का परिवहन किया जा रहा था। इस प्रकरण में एफएसएल में भेजे गये सैम्पल के रेमेनेंट प्राप्त हुए जो आर्टिकल–1 व 2 है जो एफएसएल की सील से ही सीलमोहर है, जब्ती के समय जो सैम्पल निकाले गये। इसी क्रम में निकाले गये कन्ट्रोल सैम्पल आर्टिकल 3 व 4 है, कन्ट्रोल सैम्पल में एनसीबी की सील तीन जगह लगाई थी जो सीलशुदा है। इस प्रकरण में धारा 52 ए की कार्यवाही के पश्चात् निकाल गया सैम्पल आर्टिकल 5 है। उसके द्वारा जब्ती की कार्यवाही के उपरांत इस प्रकरण की तफतीश कुलभूषण सिंह आई ओ एनसीबी को अधीक्षक के आदेश से सुपुर्द की गई।

उक्त गवाह ने जिरह के दौरान अपने मुख्य कथनों का समर्थन करते हुऐ यह जाहिर किया है कि यह कहना सही है कि मुखबिर ने जिस नम्बर से मुझे सूचना दी वह आज मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि जब मुझे सूचना मिली तब मैने मुखबिर के नम्बर लेखबद्ध नहीं किये। यह कहना गलत है कि मैं स्वतंत्र गवाहान लेखराज और मनोज को पहले से जानता हूं। यह कहना सही है कि संदिग्ध की कार्यवाही से पहले गवाहान को नोटिस दिया था। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि राम भवन के आस पास किस–किस के मकान हैं और कौन–कौन से सरकारी कार्यालय है। यह कहना सही है कि मैंने अपने उच्चाधिकारी को मौके पर नहीं बुलाया था। दोनों स्वतंत्र गवाहान मैंने मौके पर ही बनाये थे। यह कहना गलत है कि मैंने अभियुक्त की तलाशी धारा 50 का नोटिस देने से पूर्व ही कर ली हो। मैंने अनुसंधान नहीं किया मैंने जप्ती की कार्यवाही की है अतः मौके पर उसकी सिम कार्ड की डिटेल निकालना संभव नहीं था। यह कहना सही है कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी–8 व प्रदर्श पी 3 से 7 पर मेरे साथ गई रेड पाटी के हस्ताक्षर नहीं करवाये। हम मौके पर सरकारी वाहन

से गये थे, वाहन चालक कौन थे यह आज याद नहीं है। यह कहना गलत हैकि धारा 50 का नोटिस देने के पूर्व मैंने मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी को बुलवाने का प्रस्ताव अभियुक्त को न दिया हो। यह कहना गलत है कि हमने मौके पर जाने से पहले उच्चाधिकारी को सूचित न किया हो। यह कहना सही है कि हमने जो माल जप्त किया वह आज न्यायालय में नहीं है. माल की इन्वेंट्री पत्रावली पर पेश है। यह कहना सही है कि मैंने नमूना सील एफएसएल के लिये भेजी थी। यह कहना सही है कि मौके पर काम में ली गई सील को सीलबन्द नहीं किया गया था अपितु हमने सील अधीक्षक महोदय से इश्यू करवाई थी और कार्यवाही के बाद वापस उन्हें जमा करवा दी थी। यह कहना गलत है कि मैने एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत कार्यवाही नहीं की हों।

11. गवाह पी.डब्ल्यू 5 गिरधारी लाल कुमावत का कथन है कि दिनांक 10.06.2015 को वह आसूचना अधिकारी एनसीबी अजमेर में तैनात था। उस दिन अधीक्षक एनसीबी हरीश कुमार ने कार्यवाही हेतु दीपक मेडतिया के नेतृत्व में प्राप्त सूचना पर कार्यवाही हेतु टीम का गठन किया था। टीम में दीपक मेडतिया, वह स्वयं सिपाही रमेश, रामभरोसे व हीरालाल जाट थे। वे रामभवन चौराहा लोहागल रोड अजमेर में पहुंचें वहां पर दीपक मेडतिया ने आने जाने वालों वाहनों की निगरानी शुरू की थी। उससे पहले दो खडे व्यक्तियों को अपना परिचय दिया और उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम लेखराज तथा दूसरे ने अपना नाम मनोज नाथ बताया। दीपक मेडतिया ने उन्हें गुप्त सूचना से अवगत करवाया कि ओमप्रकाश रावत 10 बजे से 12 बजे दोपहर के बीच सुजुकी समुराई मोटरसाईकल पर गुजरने वाला जिसके पास मादक पदार्थ होने की सूचना है। उन दोनों व्यक्तियों को स्वतंत्र गवाह बनने का मौखिक व लिखित अनुरोध किया तो उन दोनों लिखित सहमति दीपक जी को दी थी। समय करीब 11 बजे शास्त्री नगर की तरह से सुजुकी समुराई मोटरसाईकल आती दिखी तो टीम के सदस्यों के सहयोग से उनको रूकवाया और दीपक जी ने अपना परिचय दिया और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम ओमप्रकाश रावत बताया साथ ही दोनों स्वतंत्र गवाहों का ओमप्रकाश का परिचय करवाया और गुप्त सूचना से अवगत करवाया। जिस पर ओमप्रकाश घबरा गया और दोबारा पूछने पर उसने गुप्त सूचना को सही बताया। और बताया कि उसके पास अवैध रूप से हैरोईन व एम डी का पाउडर है। उसके बाद मादक पदार्थ दिखाने के लिए कहा तो ओमप्रकाश ने अपनी पतलून की दाहिनी जेब से एक प्लास्टिक की थैली निकाली जिमसें भूरे रंग का पाउडर था और बाई जेब से एक प्लास्टिक की थैली निकाली जिसमें सफेद रंग का पाउडर था। दोनों को डीडी किट से दीपक जी ने जांचा तो प्रथम दृष्टया भूरे रंग का पाउडर हैरोईन व सफेद रंग का पाउडर एम डी एम होना पाया गया। आसूचना अधिकारी दीपक ने ओमप्रकाश को 50 एनडीपीएस एकट का नोटिस देते हुए बताया कि आप अपनी व्यक्तिगत तलाशी किसी राजपतित्र अधिकारी या मजि. के सामने दे सकते है जिस पर ओमप्रकाश ने मौखिक व लिखित रूप में दिया कि वह अपनी तलाशी दीपक मेडतिया से ही लिवाना चाहता है। उसके बाद आसूचना अधिकारी दीपक जी ने ही ओमप्रकाश की तलाशी ली और बरामदा सामान की फर्द बनाई। जिस पर स्वतंत्र गवाह आसूचना अधिकारी दीपक व ओमप्रकाश ने हस्ताक्षर किये। मौके पर दीपक मेडतिया ने नक्शामौका ओमप्रकाश व दोनों स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में बनाया था। मौके पर वाहनों की अधिक आवाजाही होने से दीपक मेडतिया दोनों स्वतंत्र गवाह व मुल्जिम व माल व मोटरसाईकल सहित एनसीबी कार्यालय वैशाली नगर अजमेर आ गये थे। वह टीम के साथ यही तक था। जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये है कि यह सही है कि मौके पर राजपत्रित अधिकारी को न तो बुलाया गया ना ही औम प्रकाश को राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ले जाया गया। मौके पर किसी फर्द पर मेरे हस्ताक्षर नहीं करवाऐ। यह सही है कि इस प्रकार में की गई कार्यवाही के किसी भी दस्तावेज पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है।

12. प्रकरण में स्वतंत्र गवाहान लेखराज व मनोज को क्रमशः पी. डब्ल्यू. 2 व 3 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिन्होने गवाह बनने के सहमती पत्र प्रदर्श पी–1 व 10 व सहमती पत्र प्रदर्श 2 व 11 पर क्रमशः अपने हस्ताक्षर होने जाहिर कर प्रदर्श पी–3 जामा तलाशी, प्रदर्श पी–4 नक्शामौका, प्रदर्श पी–5 फर्द वजन तालिका, प्रदर्श पी–6 वाहन जब्ती, प्रदर्श पी–7 नमूना सील, प्रदर्श पी–8 पंचनामा, प्रदर्श पी–9 बयान अन्तर्गत धारा 67 सीआरपीसी उक्त सभी पर अपने–अपने हस्ताक्षर होने जाहिर कर अन्य अभियोजन तथ्यों से दौराने जिरह इंकार किया है।

13. प्रकरण का अन्य गवाह राजेश सोलंकी, जो कि पी. डब्ल्यू. 7 के रूप में परीक्षित हुआ है ने मुख्य परीक्षण में जाहिर किया है कि मार्च– अप्रैल 2016 में आसूचना अधिकारी के पद पर एनसीबी उप–क्षेत्रिय इकाई अजमेर मे कार्यरत था। प्रदर्श पी–37, 52ए की कार्यवाही का आवेदन अधीक्षक हरीश कुमार द्वारा हस्ताक्षरित तात्कालीन एसपीपी जफर अहमद के जरिये पेश करवाया गया जो बी.एल. बिजराणिया आसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसकी पुश्त पर सी से डी लघु हस्ताक्षर बी.एल. बिजराणिया के है जिनके हस्ताक्षर वह उनके साथ काम करने से पहचानता है। न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्टेट एनआई एक्ट द्वारा 52ए की कार्यवाही के लिए दिनांक 05.04.2016 को उपस्थित होने हेतु आदेश प्रदान किये थे।दिनांक 05.04.2016 को मजिस्ट्रेट साहब द्वारा उसके समक्ष इन्वेट्री की कार्यवाही की थी। उनके समक्ष मार्का पी–01 सील–चपड़ी अवस्था मे कुल 27 ग्राम हिरोईन पेश किया गया था। सीलशुदा लिफाफे का वजन 35 ग्राम था। साथ ही पी–01 एस–02 कंट्रोल सैम्पल सीलशुदा अवस्था मे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। इसी दिन माल पी–02 सीलबन्द अवस्था में 52ए की कार्यवाही के लिए 10 ग्राम वजनी मेफरोडोन का प्रस्तुत किया था। इन दोनों माल के संबंध मे उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर उसके समक्ष तोल किया था और नमूना निकालने के पश्चात नमूने व माल को वापस न्यायालय की सील से सीलबन्द किया था। प्रकरण मे बरामदशुदा मोटरसाईकिल सुजुकी समुराई आरजे 01 एस 11 एम–1573 हरे रंग की पेश की गई उसके भी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा उसके समक्ष फोटो खिंचवाये गये। हीरालाल सिपाही द्वारा जज साहब के निर्देशानुसार एनसीबी के सिपाही हीरालाल के द्वारा फोटोग्राफस खिचें गये थे जो हीरालाल सिपाही द्वारा खुद स्वयं के मोबाईल से खिचे थे उसके पश्चात उसके द्वारा मजिस्ट्रेट महोदय के निदेशानुसार खेंचे गये फोटोग्राफस के प्रिंट निकलवाकर उसी दिन माननीय मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जिनके द्वारा उक्त फोटोग्राफस का मिलान एव सत्यापन किया गया था। माननीय मजिस्ट्रेट साहब द्वारा इन्वेट्री की कार्यवाही के पश्चात अपनी रिपोर्ट पत्र दिनांक 12.04.2016 से मय सलंग्न उसे सौंपी थी। उनके द्वारा उस दिवस एनेक्सजर 01 पर उक्त रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात उसके द्वारा एनसीबी एसपीपी को उपलब्ध करवा दी गई थी जो उनके द्वारा मय दस्तावेज न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये। जो फोटो उस दिन न्यायाधीश महोदय द्वारा उनके निर्देशन में खिचवाये गये थे उनका सत्यापन कर उन फोटोग्राफस पर प्रकरण का विवरण एवं प्रत्येक फोटो को अपने हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील अंकित की गई थी। उक्त समस्त कार्यवाही उसके समक्ष की गई थी। माननीय मजिस्टेट महोदय द्वारा इन्वेट्री की कार्यवाही मे विभाग के सिजड व्हीकल रजिस्टर व सैम्पल रजिस्टर मे प्रविष्टी कर अपने हस्ताक्षर व सील अंकित की गई।

दौराने जिरह गवाह ने मुख्यतः जाहिर किया है कि यह कहना सही है कि इस पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज पर मेरे हस्ताक्षर व सील अंकित नहीं है। यह सही है कि इन्वेट्री रिपोर्ट बनाते समय में मौके पर मोजुद हूं, इस बाबत मेरे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर है। जिस इलेक्ट्रॉनिक तराजू को इन्वेट्री की कार्यवाही में प्रयुक्त होना बता रहा हूं, वह तराजू हमारे

विभाग का ही था। यह कहना सही है कि सिपाही द्वारा फोटोग्राफस के साथ कोई छेडछाड की गई हो एवं फोटोग्राफस के संबंध में किसी प्रकार का कोई 65 बी का प्रमाण पत्र नहीं दिया था।

14– प्रकरण के गवाह हरीश कुमार ने पी. डब्ल्यू. 6 के रूप में परीक्षित हो जाहिर किया है कि दिनांक 10.06.2015 को एनसीबी अजमेर में अधीक्षक पद पर कार्यरत था। उस दिन समय करीब 9.15 सुबह आसूचना अधिकारी दीपक मेड़तियां द्वारा फार्म नंबर–एनसीबी 01 में भरकर एक गुप्त सूचना प्रस्तुत की थी। यह सूचना ओमप्रकाश नामक व्यक्ति के बारे में थी कि यह व्यक्ति उस दिन समय करीब 10 से 12 बजे के मध्य एक मोटर साइकिल, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे 01 11 एम 1573 से रामभवन चैराहा लोहागल रोड़ दाता नगर अजमेर से लगभग 25 ग्राम हीरोइन एवं एमडीएमए का अवैध परिवहन करेंगा। इस सूचना अवलोकन कर उसने उस पर हस्ताक्षर किये सूचना प्रदर्श–पी18 है जिस पर सी से डी स्थान पर उसका अवलोकन एवं हस्ताक्षर किये हुए है। इस सूचना के आधार पर उसने प्रदर्श पी–19 कार्यालय आदेश दिनांक 10.06.2015 जारी कर निवारक दल का गठन किया था जिसमें दीपक मेड़तिया को टीम प्रभारी एवं जब्ती अधिकारी नियुक्त किया एवं टीम में अन्य सदस्य थे। प्रदर्श पी–19 पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 11.06.2015 को दीपक मेड़तियां द्वारा उसके समक्ष इस प्रकरण में जब्त हीरोइन का पैकेट जिस पर मार्क पी–01 था जो सील्ड अवस्था में था एवं 04 सील्ड सैम्पलस जिन पर मार्क पी–01 एस–01, पी–01 एस–02, पी–02 एस–01, पी–02 एस–02 एवं ओमप्रकाश के व्यक्तिगत तलाशी में जब्तसामान का सील्ड पैकेट एवं एक वाहन मोटरसाईकिल सुजुकी सामुराई रजिस्ट्रेशन संख्या आरजे 01 11 एम 1573 उसे मालखाने में जमा करने हेतु सौंपे। जिसके बाद मालखाना रजिस्टर, सैम्पल रजिस्टर, व्यक्तिगत तलासी रजिस्टर एवं जब्ती वाहन रजिस्टर में उचित इंद्राज कर उक्त सभी आर्टीकल्स एवं वाहन को उसके द्वारा मालखाना में जमा किया गया एवं इस बाबत प्राप्त रसीद क्रमशः जरिये प्रदर्श पी–26 व पी–27, पी–28 व पी–29 जारी की गई जिन पर सी से डी उसका पृष्ठांकन एवं हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा है। दिनांक 11.06.2015 को समय दोपहर 03 बजे दीपक मेड़तिया आसूचना अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में कि गई जब्ती एवं गिरफतारी के धारा 57 एनडीपीएस एक्ट अनुपालना रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की गई, जिसका अवलोकन कर उसने हस्ताक्षर किया जो प्रदर्श पी–30 पर सी से डी स्थान पर अंकित है। दिनांक 11.06.2015 को इस प्रकरण में निकालें गये 02 नमूना सैम्पल पी–01 एस–01, पी–02 एस–01 को परिक्षण हेतु सीआरसीएल नई दिल्ली जरिये विशेष संदेश वाहक कुलभूषण सिंह आसूचना अधिकारी भेजा गया। पत्र प्रदर्श पी–35 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके तथा सी से डी स्थान पर कुलभूषण सिंह के हस्ताक्षर है इस पत्र के साथ संबंधित सलंग्नक 02 प्रति में टेस्ट मिमो व सैम्पल दो पैकेट में भेजे गये थे। कुलभूषण सिंह द्वारा उसके समक्ष प्रयोगशाला दिल्ली में उक्त सैम्पल दिनांक 12.06.2015 को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–36 उसके समक्ष प्रस्तुत की थी। दिनांक 25.06.2015 को इस प्रकरण का अग्रीम अनुसंधान हेतु कुलभूषण सिंह को अनुसंधान अधिकारी उसके द्वारा नियुक्त किया गया। दिनांक 03.08.2015 को सीआरसीएल द्वारा इस प्रकरण में भेजे गये सैम्पल की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई जो प्रदर्श पी–32 की पुश्त पर ई से एफ है जिसे उसने संबंधित अनुसंधान अधिकारी को मार्क कर अपने हस्ताक्षर किये थे जिसका पृष्ठांकन व हस्ताक्षर जी से एच स्थान पर उसके द्वारा किया गया है। दिनांक 30.03.2016 को इस प्रकरण में जब्तशुदा हीरोईन, मेफिड्रोन एवं मोटरसाईकिल के इन्वेट्री सत्यापन का प्रार्थना–पत्र सीजेएम महोदय अजमेर को उसके द्वारा लिखा गया एवं बी.एल. बीजारनीया आसूचना अधिकारी के जरिये माननीय न्यायालय में पेश किया पत्र प्रदर्श पी–37 है जिस पर ए से बी उसका हस्ताक्षर है उसकी पुश्त पर सी से डी स्थान पर बी.एल. बीजारनीया का नाम व उनके हस्ताक्षर है जो वह उनके उसके अधीनस्थ कार्यरत रहने के कारण पहचानाता है। प्रदर्श पी–37 के साथ एनेक्जर प्रदर्श पी–38 मय

सलंग्न दस्तावेजों के सीजेएम महोदय के यहां प्रस्तुत किया गया था। धारा 52 ए की आगे की कार्यवाही आसूचना अधिकारी राजेश सौंलकी अधिकारी द्वारा विशिष्ठ न्यायीक मजिस्ट्रेट एनआई–01 अजमेर के समक्ष करवाई गई थी जिनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–38 है। दिनांक 11.06.2015 को दीपक मेड़तिया आसूचना अधिकारी नें समय करीब 2.45 पी.एम. पर इस प्रकरण में जब्तशुदा माल, जब्तशुदा वाहन, जब्तशुदा सैम्पल व ओमप्रकाश के व्यक्तिगत तलाशी में बरामद सामान को मालखाना में जमा करने हेतु उसे सौंपा। जिसके बाद मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–39 में जब्त माल की उसके द्वारा अपने हस्तलेख में प्रवष्टि की गई जो ए से बी है, एवं एक्स स्थान पर सील अंकित हैं। जिसकी फोटोप्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी 39ए हैं। सैम्पल रजिस्टर में उसके द्वारा अपने हस्तलेख में प्रविष्टी की गई जो प्रदर्श पी–40 हैं जिस पर ए से बी उसके हस्तलेख में प्रविष्टी तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है जिसकी प्रतिलिपी पत्रावली पर प्रदर्श पी–40ए हैं। जब्त वाहन रजिस्टर में उसके द्वारा अपने हस्तलेख में प्रविष्टी की गई जो प्रदर्श–41 हैं जिस पर ए से बी उसके हस्तलेख में प्रविष्टी है व एक्स स्थान पर सील अंकित हैं जिसकी फोटोप्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी–41ए हैं। अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी से जब्त सामान की प्रविष्टी उसके द्वारा व्यक्तिगत तलाशी रजिस्टर प्रदर्श पी–42 उसके हस्तलेख में है जो ए से बी हैं तथा जिसकी प्रतिलिपी पत्रावली पर प्रदर्श पी–42ए हैं।

जिरह के दौरान उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण का समर्थन करते हुऐ कथन किया है कि यह कहना सही है कि दीपक मेड़तिया नें मुझे सूचना मौखिक एवं लिखित रूप से दी हैं। मुझे दीपक मेड़तिया से मौखिक रूप से सूचना उसी समय प्राप्त हुई थी जब वे मेरे कक्ष में आये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–18 एवं प्रदर्श पी–19 में कही पर भी अंकन नहीं है कि दीपक मेड़तिया में किस प्रकार सूचना प्राप्त हुई एवं सूचना किसने दी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–18 पर मेरे हस्ताक्षर के नीचे मेरे ऑफिस की सील का अंकन नहीं हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–19 कार्यालय आदेश में कार्यालय से रखाना होंने के समय का अंकन नहीं हैं। प्रदर्श पी–19 में किस सरकारी वाहन का प्रयोग टीम कर रही है, इसका भी स्पष्ट अंकन नहीं हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–19 में मौके पर जानें वाली टीम में मेरा नाम नहीं हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–26 पर मैंने दिनांक 11.06.2015 को हस्ताक्षर किये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–26 में नेटवेट अलॉन्ग वीथ प्लास्टिक बैग के वजन का अंकन हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–26, पी–27, पी–28 व पी–29 मेरे कार्यालय में बनी हैं। प्रदर्श पी–26 व प्रदर्श पी–27 पर पैकेट पर लगी हुई नमूनासील का अंकन नहीं है क्योंकि वह मैंने नहीं लगाई थी,उक्त सील संबंधित रजिस्टर में मौजुद हैं। प्रदर्श पी–28 में वर्णित धारा 50 एनडीपीएस एक्ट नोटिस एवं भारतीय मुद्रा, मोबाईल की मुझे जानकारी नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी–35 में वाईटनर लगाकर नंबर बदले गये है।

15– प्रकरण में इन्वेट्री की कार्यवाही करने वाले गवाह आशीष कुमावत ने पी. डब्ल्यू. 8 के रूप में परीक्षित हो सशपथ जाहिर किया है कि दिनांक 30.03.2016 को वह विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई प्रकरण संख्या 01 अजमेर के पद पर पदस्थापित था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर से एनसीबी के प्रकरण संख्या 2/2015 मे धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रमाणन की कार्यवाही किये जाने बाबत प्राप्त हुआ था जो प्रदर्श पी–37 है। जिसकी पुश्त पर दिनांक 30.03.2016 को इन्वेट्री की कार्यवाही के लिए 05.04.2016 की दिनांक निश्चित की गई थी। जिस पर इ से एफ स्थान पर उसके लघु हस्ताक्षर तथा उसके पदनाम की सील अंकित है। दिनांक 05.04.2016 को एनसीबी के आसूचना अधिकारी राजेश सौलंकी उसके समक्ष प्रकरण मे प्रमाणन की कार्यवाही के लिए जब्तशुदा माल, केस डायरी, तराजू आदि के साथ उसके समक्ष उपस्थित हुए थे प्रमाणन की कार्यवाही के दौरान उसके समक्ष बरामदशुदा पीले रंग का कागज का लिफाफा मार्क पी–01 सील चपड़ी अवस्था मे कुल 27 ग्राम हैराईन का पेश किया जिसकी सील इन्टेक्ट अवस्था

मे थी। सीलशुदा लिफाफे का वजन किये जाने पर उक्त पी–01 लिफाफे का वजन 35 ग्राम हुआ जिसका फोटो खिचवाया गया। आसूचना अधिकारी द्वारा पी–01 एस–02 कंट्रोल सैम्पल सीलशुदा अवस्था मे प्रस्तुत किया जिसकी सीलें इन्टेक्ट थी जिनके फोटोग्राफस भी इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर रखकर करवाये गये। पी–01 लिफाफे की सील व चपड़ी हटाकर खोला गया तो उसमे एक पॉलिथिन की थैली पाई गई जिसमे भूरे रंग का पदार्थ था जिसे हिरोईन होना बताया। इस पदार्थ मे से 5 ग्राम सैम्पल अलग प्रतिनिधि सैम्पल हेतु निकालकर अलग से थैली रखकर अलग से तोला गया व इस थैली का अन्य पीले लिफाफे मे रखकर सील–चपड़ी किया जाकर हस्ताक्षरित एवं वजन करवाया गया। जिसका वजन 15 ग्राम हुआ जिसके फोटोग्राफस भी करवाये। प्रदर्श पी–01 पर फर्द जब्ती मे सैम्पल निकालने के बाद वजन 27 ग्राम दर्शाया था जबकि इन्वेट्री के समय वजन 35 ग्राम होना पाया जिस बाबत अनुसंधान अधिकारी से पूछे जाने पर उनके द्वारा नमी की भिन्नता व पैकिग के कारण वजन बढ़ना बताया उक्त लिफाफे को पुनः चिपकाया जाकर सील चपड़ी कर न्यायालय की सील लगा हस्ताक्षरित किये। उक्त अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये जाकर पुनः वजन करवाया गया जो वजन 35 ग्राम पाया गया। जिसकी भी फोटोग्राफी करवाई गई। इस प्रकरण मे आसूचना अधिकारी राजेश सौंलकी द्वारा एक माल प्रदर्श पी–02 10 ग्राम वजनी मेफेडोन होने से उसमे से 5 ग्राम सैम्पल अनुसंधान के दौरान लिया जाकर जांच हेतु भेजा जाना बताया। व शेष बचा पूरा माल सैम्पल के रूप मे रख लिया जाना बताया। शेष 5 ग्राम पैकेट का वजन करवाया जाने पर 25 ग्राम वजन सील चपड़ी लिफाफे का हुआ जिसके भी फोटोग्राफ करवाये गये। आसूचना अधिकारी द्वारा उक्त दोनों सील मालखाना रजिस्टर व सैम्पल रजिस्टर भी पेश किये गये। सैम्पल रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 6 व मालखाना रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 6 पर उसके द्वारा अपनी कार्यवाही अंकित की गई। आसूचना अधिकारी द्वारा बरामदशुदा मोटरसाईकिल सूजूकी समूराई आरजे 01 11एम 1573 गहरे हरे रंग की पेश की जिसके फोटो खिचवाये गये। एवं इस संबंध मे वाहन रजिस्टर मे भी पृष्ठांकन किये गये। उक्त समस्त कार्यवाही के पश्चात सीलबन्द लिफाफा पी–01 व सील बन्द लिफाफ पी–01 एस–02 व पी–02 व सैम्पल लिफाफा आर एस–01 सभी को सीलबन्द अवस्था मे राजेश सौलंकी आसूचना अधिकारी का पुनः सुपुर्द किये गये। उसके द्वारा इन्वेट्री की कार्यवाही के दौरान एनसीबी के सीपाही हीरालाल द्वारा उसके निर्देशानुसार फोटो खेचकर उनके प्रिंट निकलवाकर उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये जिनका उसके द्वारा प्रमाणन किया गया। उसके द्वारा इन्वेट्री रिपोर्ट फॉरवडींग लेटर प्रदर्श पी–38 मय सलंग्नक आसूचना अधिकारी राजेश सौंलकी को प्रेषित की प्रदर्श पी–38 पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर तथा उसके पदनाम की सील अंकित है। इन्वेट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी–43 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर और उसके पदनाम की सील अंकित है। उसके द्वारा एन्कचसर–1 प्रदर्श पी–38 पर ए से बी प्रमाणन की टिप्पणी तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर व पदनाम की सील अंकित है। उसके द्वारा अपनी कार्यवाही के दौरान खिचवाये गये फोटोग्राफ प्रदर्श पी–13, पी–14, पी–15 है। जिनमे तुला पर उनका वजन भी अंकित है। उक्त पी–13 व पी–14 पर आई से जे उसके हस्ताक्षर व पदनाम की सील अंकित है। प्रदर्श पी–15 फोटोग्राफस इसमे दर्शित लिफाफे के है जिनमे तुला पर रखी अवस्था में फोटो खिचवाये गये। प्रदर्श पी–15 पर आई से जे स्थान पर उसके हस्ताक्षर व पदनाम की सील अंकित है। प्रदर्श पी–16, पी–17 उसके द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत मोटर साईकिल आरजे 01 11एम 1573 के फोटोग्राफस है जिन प्रत्येक फोटोग्राफस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है व उसके पदनाम की सील अंकित है जो प्रदर्श पी–44 व पी–45 है। प्रदर्श पी–44, पी–45, पी–46 पर चस्पा फोटोग्राफस उसके द्वारा इन्वेट्री की कार्यवाही के दौरान करवाये गये थे जो तुला पर रखी अवस्था मे करवाये थे जिनका वजन दर्शित है प्रत्येक फोटोग्राफस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व पदनाम की सील अंकित है। प्रदर्श पी–47 फोटोग्राफस वाहन के इंजन/चेसस नम्बर के है। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–39 पर सी से डी उसके द्वारा किया गया

पृष्ठांकन है एवं ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर व पदनाम की सील अंकित है। जिसकी फोटोप्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी–39ए है। सैम्पल रजिस्टर प्रदर्श पी–40 है जिस पर ई से एफ उसका पृष्ठांकन व जी से एच उसके हस्ताक्षर तथा पदनाम की सील अंकित है। जिसकी फोटोप्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी–40ए है। जब्तवाहन का रजिस्टर प्रदर्श पी–41 है जिस पर सी से डी उसका पृष्ठांकन तथा ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर व पदनाम की सील अंकित है जिसकी फोटो प्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी–41ए है। उसके द्वारा इन्वेट्री की कार्यवाही के दौरान जो रेमेन सैम्पल लिया था वह आर्टिकल 45 है। जिस पर ए से बी स्थान पर उसका हस्तलेख व सी से डी प्रकरण का विवरण तथा लिफाफे की पुश्त पर एक्स स्थान पर न्यायालय की सील तथा वाई स्थान पर लाख की सील अंकित है।

जिरह के दौरान उक्त गवाह ने अपने मुख्य कथनों का समर्थन करते हुऐ जाहिर किया है कि घटना किस दिनांक को हुई इसकी आज मुझे जानकारी नहीं है। इन्वेंट्री के लिए सीजेएम साहब का पत्र प्राप्त हुआ था। इन्वेट्री के लिए मेरे पास आसूचना अधिकारी राजेश सौंलकी आये थे। इन्वेंट्री के साथ मेरे समक्ष उक्त प्रकरण से संबंध केस डायरी भी आई थी। इलेक्ट्रॉनिक कांटा एनसीबी वाले अपने साथ लेकर आये थे। मेरे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे की सही रूप से कार्य करने की जांच की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक कांटा सही रूप से कार्य कर रहा है इस बाबत अलग से कोई फर्द मेरे द्वारा नहीं बनाई गई क्योंकि मेरे अनुसार इस बावत पृथक से कोई फर्द बनाने की आवश्यकता नहीं है। इन्वेट्री के दौरान फोटोग्राफस मेरे निर्देशन मे हीरालाल सीपाही एनसीबी के द्वारा खेंचे गये थे। उक्त फोटोग्राफस मेरे निर्देशन में हीरालाल द्वारा मेरे समक्ष खैचे गये एवं उसके पश्चात उन फोटोग्राफस को प्रिंट करवाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर मेरे द्वारा उन फोटोग्राफस को सत्यापित किया गया था इसलिए धारा 65 बी के प्रमाण–पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा अलग से कोई शपथ–पत्र कोर्ट की कार्यवाही बाबत नहीं दिया गया था क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी एवं कोर्ट की कार्यवाही सही ही मानी जायेगी। मेरे समक्ष जो लिफाफे आये थे उसका पूर्व मे भी एनसीबी द्वारा वजन किया गया होगा जो फर्द जब्ती में अंकित है। इस बात का उल्लेख मैंने अपनी इन्वेट्री रिपोर्ट किया है कि एनसीबी द्वारा माल के वजन और मेरे द्वारा किये गये वजन में 8 ग्राम का अन्तर है जो कि मेरी जानकारी में है। वजन भिन्नता के संदर्भ मे मेरे द्वारा उसी समय अनुसंधान अधिकारी से पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि नमी की भिन्नता एवं पैकिंग के कारण उक्त वजन में अंतर आया है। जिस बात का अंकन मेरे द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में किया गया है। उक्त माल को पॉलिथिन की थैली में पेक किया गया था जिसे कागज के लिफाफे मे रखा गया था। यह मुझे याद नहीं है कि प्लास्टिक की थैली जिपर लॉक वाली हो। प्रदर्श पी–39 में सी से डी अंकन मेरे द्वारा किया गया है। मेरे द्वारा इन्वेट्री की कार्यवाही के दौरान प्रदर्श पी–39 में सी से डी वजन के संबंध में जो अंकन किया गया है वह सही है।

16– प्रकरण में अनुसंधान करने वाले गवाह कुलभूषण सिंह ने सशपथ कथनों में पी. डब्ल्यू. 9 के रूप में परीक्षित हो जाहिर किया है कि जून 2015 में आसूचना अधिकारी एनसीबी उप क्षेत्रीय ईकाई अजमेर में पदस्थापित था। 25 जून 2015 को उसे एनसीबी बनाम ओमप्रकाश के प्रकरण का अनुसंधान उसे सौंपा था। अनुसंधान मिलने के बाद उसने सीजर के दौरान जब्त मोटरसाईकिल 1573 के मालिकाना हक जानने के लिए आरटीओ अजमेर को पत्र लिखा था जो प्रदर्श पी0–48 है जिसपर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है व दिनांक अंकित है। इस पत्र के पुस्त पर डीटीओ अजमेर का जवाब ए से बी है तथा सी से डी जिला परिवहन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर व सील अंकित है। अंकित जवाब के अनुसार प्रकरण में जब्त वाहन आरजे 01 11एम 1573 का पंजीकृत स्वामी गणपत सिंह पुत्र बीजालाल बताया गया, जिसके क्रम में उसके द्वारा उक्त गणपत सिंह के धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत बयान लेने हेतु नोटिस प्रदर्श पी.–49 प्रेषित

किया था जिसपर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है व दिनांक अंकित है। उक्त नोटिस की पालना में दिनांक 20.07.2015 को एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर उसके सामने दर्ज कराये थे जो प्रदर्श पी.–50 है जिसपर उसके समक्ष गणपत सिंह ए से बी स्थान पर अपने हस्ताक्षर दर्ज किये थे तथा गणपत सिंह अपने आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रदर्श पी.–51 प्रस्तुत की थी जिसपर ए से बी स्थान पर गणपत सिंह ने हस्ताक्षर उसके समक्ष किये थे। दौराने बयान गणपत सिंह ने उक्त मोटरसाईकिल के संबंध में ओमप्रकाश रावत पुत्र पन्ना सिंह के साथ किया गया इकरार नामा प्रदर्श पी.–34 उसके समक्ष मूल प्रस्तुत किया था जिसकी पुस्त पर उसने ए से बी शामिल पत्रावली का पृष्ठाकंन तथा सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर दिनांक तथा पदनाम अंकित किया था। उसने अनुसंधान के दौरान जो दो स्वतंत्र लेखराज और मनोज थे उनके धारा 67 के बयान देने हेतु नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी.–52 व पी.–53 दिये थे जिनपर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर व दिनांक अंकित है। उक्त नोटिस की पालना में गवाह लेखराज द्वारा बयान प्रदर्श पी.–9 उसे दिये थे जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी स्थान पर लेखराज के हस्ताक्षर है तथा सी से डी स्थान पर मेरा पृष्ठाकंन व ई से एफ उसके हस्ताक्षर व पदनाम की सील अंकित है। यह बयान उसके हस्तलेख में है। इसी प्रकार मनोज नाथ द्वारा उसे दिये गये धारा 67 के बयान प्रदर्श पी.–12 उसके द्वारा लेखबद्ध किये गये थे जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी स्थान पर मनोज नाथ के हस्ताक्षर है तथा सी से डी स्थान पर उसका पृष्ठाकंन तथा ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर व पदनाम की सील अंकित है। दौराने अनुसंधान उसकी जानकारी में अभियुक्त द्वारा काम में लिये गये मोबाईल नंबर की 65 बी कैफ व सीडीआर के संदर्भ में नोडल अधिकारी को पत्र लिखे थे। मोबाईल नंबर 9784322420 के बाबत् उसने नोडल ऑफिसर एयरटेल को पत्र प्रदर्श पी.–54 प्रेषित किया था तथा नोडल ऑफिसर एमटीएस को मोबाईल नंबर 8104709678 के संबंध में जानकारी हेतु पत्र प्रदर्श पी.–55 प्रेषित किया था जिनपर पत्रों पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा अधीक्षक एनसीबी अजमेर उप क्षेत्रीय ईकाई के आदेश पर जरिये पत्र प्रदर्श पी.–35 प्रकरण में निकाले गये नमूने पी1 एस 1 , पी2 एस 1 एवं दो टेस्ट मीमो प्रति प्राप्त की थी जिसमें सैम्पल प्राप्ती का उसका पृष्ठाकंन प्रदर्श पी0–40 पर आई से जे है तथा हस्ताक्षर व दिनांक अंकित है। प्रदर्श पी.–35 पर सी से डी स्थान पर उसके नमूना हस्ताक्षर है। उक्त सैम्पल एवं दस्तावेज उसके द्वारा सीआरसीएल नई दिल्ली में सीलबंद अवस्था में जमा करा दिये थे, जहां से जारी रसीद प्रदर्श पी.–36 उसे दी गयी थी जिसे उसने शामिल अनुसंधान पत्रावली किया था। सीआरसीएल नई दिल्ली से जो परीक्षण रिपोर्ट टेस्ट मीमो प्रदर्श पी0–32 की पुस्त पर प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट में मैंशन था कि एक सैम्पल परीक्षण करने पर मेफेड्रॉन पाया गया जबकि पंचनामे में उसे एमफीटामाईन बताया गया था, इसी के स्पष्टीकरण के उसने जब्ती अधिकारी श्री दीपक मेड़तिया को पत्र प्रदर्श पी.–33 दिया था जिसपर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर व दिनांक अंकित है जिसका जवाब दीपक मेड़तिया द्वारा उसे प्रदर्श पी.–34 दिया था जिसके अनुसार दीपक मेडतिया जी ने बताया कि फिल्ड ड्रग डिटेक्शन किट से चैक करने पर एमफीटामाईन का टेस्ट आया था जो बाद में सीआरसीएल द्वारा जांचने पर मेफेड्रॉन हाईड्रॉक्लोराइड बताया। डीडी किट के अन्दर मेफेड्रॉन का टेस्ट नहीं होता और मौके पर एमफीटामाईन का टेस्ट आता है। उसके द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्त ओमप्रकाश रावत पुत्र पन्ना सिंह रावत के विरूद्ध अवैध मादक पदार्थ हैरोईन रखने हेतु धारा 8/21 व मादक पदार्थ मेफेड्रॉन के लिए धारा 8/22 एवं मादक पदार्थ को मोटरसाईकल पर परिवहन करने के संबंध में धारा 25 एनडीपीएस एक्ट का अपराध बनना पाये जाने पर परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने अपने मुख्य कथनों का समर्थन करते हुऐ जाहिर किया है कि यह कहना सही है कि घटना वाले दिन जब्त वाहन आरोपी के नाम पर नहीं है। यह कहना सही है कि घटना के लगभग एक माह बाद मैने यह बयान लेखबद्ध किये व यह भी सही है कि प्रदर्श पी–12

किस स्थान पर दर्ज किये गये, इस बाबत स्थान का अंकन नहीं है व यह सही है कि प्रदर्श पी–33 घटना के लगभग दो माह बाद जारी किया गया था। प्रदर्श पी०–33 दीपक मेडतिया को प्राप्त हो गया हो इस बाबत् उनके कहीं हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी0–34 मुझे प्राप्त हो गया हो इस बाबत् मेरे कोई हस्ताक्षर प्रदर्श पी0–34 पर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–35 में एक्स स्थान पर वाईटनर लगा कर कांटछांट की गयी है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी०–35 पर वाई से जेड स्थान पर वाईटनर लगा कर कांटछांट की गयी है। यह कहना सही है कि जो पैकेट मुझे प्राप्त हुई थे उन्हें मैंने खोल कर नहीं देखा, जिस अवस्था में मुझे मिले थे उसी अवस्था में मैंने जमा करा दिये थे।यह कहना सही है कि प्रदर्श पी0–54 व पी०–55 नोडल ऑफिसर को प्राप्त हो गये हो इस बाबत् प्राप्ती पर हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी0–50 मेरे द्वारा लेखबद्ध नहीं किये गये। यह कहना सही है कि स्वतंत्र गवाहों के बयान घटना के लगभग 1 माह बाद लेखबद्ध किये गये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी0– 40 में इन्वेन्ट्री करने पश्चात् न्यायिक अधिकारी द्वारा पैकेट के वजन का अंकन नहीं किया गया। आज मुझे याद नहीं है कि मौके पर दीपक मेडतिया के साथ गये हुए अधिकारियों व कर्मचारियों ने फर्दो पर हस्ताक्षर किये थे या नहीं। यह कहना सही है कि मेरे सामने धारा 50 का नोटिस नहीं दिया गया। जो परिवाद मेरे द्वारा न्यायालय में पेश किया उसके पृष्ठ संख्या 1 से 6 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है।

17. प्रकरण में विचारणीय बिन्दू को प्रमाणित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष का अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध करना है कि प्रकरण में बरामदगी व जब्ती अधिकारी द्वारा विधि अनुसार अधिनियम, 1985 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुऐ अभियुक्त के पास से मादक पदार्थ बरामद किया जिसको रखने का उसके पास कोई लाईसेंस या परमिट नहीं था। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी को सिद्ध करने के क्रम में जब्ती अधिकारी दीपक मेडतवाल, पी. डब्ल्यू. 1 को मामले में परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह द्वारा अपने सशपथ कथनों के दौरान स्पष्ट रूप से अभियुक्त के कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी को साबित बताया है दौराने मुख्य कथन उक्त गवाह ने यह जाहिर किया है कि वह अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद था,समय लगभग 11.00 बजे शास्त्री नगर की तरफ से एक गहरे रंग की मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति को आते देखा, मोटर साईकिल का नम्बर आरजे 01 11 एम 1573 था, जिस पर सवार व्यक्ति ने अपना नाम ओमप्रकाश रावत निवासी पीलीखान, लोहागल रोड़ अजमेर बताया,जिसको उपलब्ध सूचना से अवगत करवाया, जिसने अपनी पतलून की दाहिने जेब से एक प्लास्टिक की थैली निकाली जिसमें भूरे रंग का पदार्थ था एवं पतलून की बायी जेब भी एक प्लास्टिक की थैली निकाली जिसमें सफेद रंग का पदार्थ था। उसने तुरन्त ही दोनों पदार्थो का अपने पास उपलब्ध डीडी किट से चैक किया, जिसमे भूरे रंग का पदार्थ का हैरोईन होना पाया एवं सफेद रंग के पदार्थ को एम्फटामाईन होना पाया। उसके बाद उसने ओमप्रकाश रावत को एनडीपीएस एक्ट धारा 50 का नोटिस दिया तथा उसे मौखिक और लिखित रूप से समझाया की वह अपनी तलाशी नजदीकी किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष करवा सकता है, जिस पर उसने अपनी लिखित एवं मौखिक सहमति दी। भूरे रंग के पदार्थ को अपने पास उपलबध ईलैक्ट्रोनिक मशीन से उसका वजन किया तो उसे 27 ग्राम पाया एवं सफेद रंग के पदार्थ का वजन करने पर उसका वजन 10 ग्राम पाया, उसके बाद उसने दोनों पदार्थों में से 5–5 ग्राम के सैम्पल निकाले और उन्हें मार्का पी–1 एस–1 व पी–1 एस–2 एवं पी–2 एस–1 व पी–2 एस–2 दिया। उसके बाद भूरे रंग के बचे हुए पदार्थ को उसने एक प्लास्टिक की थैली में डालकर सील किया और उसे एक पीले लिफाफे में डालकर सील चपडी किया और उस पर मार्का पी–1 डाला। जिरह में भी उक्त गवाह ने जब्ती के संबंध में अपने मुख्य कथनों को पूर्ण रूप से समर्थित किया है। इसी क्रम में जाब्ते में मौजूद अन्य गवाह गिरधारीलाल कुमावत पी. डब्ल्यू. 5 ने अपने मुख्य कथनों से जब्ती

अधिकारी के कथनों की ही ताईद की है और यह जाहिर किया है कि ओमप्रकाश ने अपनी पतलून की दाहिनी जेब से एक प्लास्टिक की थैली निकाली जिमसें भूरे रंग का पाउडर था और बाई जेब से एक प्लास्टिक की थैली निकाली जिसमें सफेद रंग का पाउडर था। दोनों को डीडी किट से दीपक जी ने जांचा तो प्रथम दृष्टया भूरे रंग का पाउडर हैरोईन व सफेद रंग का पाउडर एम डी एम होना पाया गया। आसूचना अधिकारी दीपक जी ने ओमप्रकाश को 50 एनडीपीएस एकट का नोटिस देते हुए बताया कि आप अपनी व्यक्तिगत तलाशी किसी राजपतित्र अधिकारी या मजि. के सामने दे सकते है जिस पर ओमप्रकाश ने मौखिक व लिखित रूप में दिया कि वह अपनी तलाशी दीपक मेडतिया से ही लिवाना चाहता है। उक्त गवाह जिरह के दौरान अपने मुख्य कथनों से विचलित नहीं हुआ है। जब्ती के समय मौजूद लेखराज व मनोज को अभियोजन ने पी. डब्ल्यू. 2 व 3 के रूप में परीक्षित करवाया गया है जो अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करते है, जिन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है परन्तु उक्त गवाहान ने अपने सशपथ कथनों में जब्ती अधिकारी द्वारा तैयार की गई फर्दो पर स्वयं के हस्ताक्षरों से इन्कार नहीं किया और यह जाहिर किया है कि गवाह बनने के सहमती पत्र प्रदर्श पी–1 व 10 व सहमती पत्र प्रदर्श 2 व 11 पर क्रमशः उनके हस्ताक्षर है एवं प्रदर्श पी–3 जामा तलाशी, प्रदर्श पी–4 नक्शामौका, प्रदर्श पी–5 फर्द वजन तालिका, प्रदर्श पी–6 वाहन जब्ती, प्रदर्श पी–7 नमूना सील, प्रदर्श पी–8 पंचनामा, प्रदर्श पी–9 बयान अन्तर्गत धारा 67 सीआरपीसी उक्त सभी पर उनके हस्ताक्षर है।

18. जहाँ तक अधिनियम, 1985 की धारा 50 के नोटिस का प्रश्न है, इस संबंध में गवाह दीपक मेड़तिया, पी. डब्ल्यू. 1 ने स्पष्ट रूप से अपने बयानों में गवाहान की उपस्थिति में अभियुक्त को दिया जाना बताया है, उक्त बाबत नोटिस जारी किया जाना भी बताया है। स्वतंत्र गवाह लेखराज व मनोज जो क्रमशः पी. डब्ल्यू. 2 व 3 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिन्होने गवाह बनने के सहमती पत्र प्रदर्श पी–1 व 10 व सहमती पत्र प्रदर्श 2 व 11 पर क्रमशः अपने हस्ताक्षर होने जाहिर कर प्रदर्श पी–3 जामा तलाशी, प्रदर्श पी–4 नक्शामौका, प्रदर्श पी–5 फर्द वजन तालिका, प्रदर्श पी–6 वाहन जब्ती, प्रदर्श पी–7 नमूना सील, प्रदर्श पी–8 पंचनामा, प्रदर्श पी–9 बयान अन्तर्गत धारा 67 सीआरपीसी उक्त सभी पर अपने–अपने हस्ताक्षर होने जाहिर किये है, हालांकि उक्त गवाहान मामले में अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करते है, परन्तु उन्होंने किसी भी फर्द पर स्वयं के हस्ताक्षरों से इन्कार नहीं किया है, अर्थात वक्त घटना गवाहान मौके पर उपस्थित नहीं रहे हों, यह प्रकट नहीं होता है। उक्त गवाहान के पक्षद्रोही होने से मामले पर कोई विपरीत रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है। हस्ताक्षर उक्त गवाहान से जबरन दबाव देकर कराये गये हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रकट नहीं होती है। जब्ती टीम के अन्य सदस्यों गिरधारीलाल कुमावत, पी. डब्ल्यू. 5 द्वारा भी अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के संबंध में साक्ष्य दी है। पुलिस गवाहान जो जब्ती के समय मौजूद थे, उक्त गवाह मात्र पुलिस कर्मी हो, इस आधार पर उनकी साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण किये जाने के पश्चात् यदि उनकी विश्वसनीयता सिद्ध हो जाती है तो उन पर विश्वास किया जाना भी उचित होता है।

19. इसी क्रम में अधिनियम, 1985 की धारा 57 की पालना का प्रश्न है, इस क्रम में भी गवाह दीपक मेडतिया, पी. डब्ल्यू. 1 ने अपने सशपथ कथनों में यह जाहिर किया है कि धारा 57 की रिपोर्ट तैयार कर अधीक्षक महोदय को पेश की थी, जिससे धारा 57 की सूचना प्रदर्श पी–21 के मुताबिक समस्त कार्यवाही की सूचना अधीक्षक महोदय को कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् दी जाना स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। उक्त समस्त तथ्यों की ताईद गवाह हरीश कुमार, पी. डब्ल्यू. 6 द्वारा अपने सशपथ कथनों से स्पष्ट रूप से ताईद करते हुऐ यह जाहिर किया है कि दिनांक 12.10.2014 को गिरधारीलाल ने इस प्रकरण में धारा 57 अधिनियम, 1985 की रिपोर्ट मेरे समक्ष प्रस्तुत की, जिसका अवलोकन कर टिप्पणी सहित मैने हस्ताक्षर किये है व जिरह में भी उक्त

गवाह अपने मुख्य परीक्षण से विचलित नहीं हुआ है व कथन किया है कि धारा 57 की सूचना प्रदर्श पी–21 दिनांक 12.10.2014 को लिखी गई जो मुझे बाईहेण्ड उसी दिन सौंपी गई थी, प्रदश पी–21 धारा 57 का सी से डी भाग जब मुझे प्राप्त हुआ, तब मेरे संज्ञान में आ गया था। अतः उक्त समस्त साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 57 की पालना भी जब्ती अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की गई एवं विहित अवधि में उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई है। अतः प्रकरण में जैसा कि पूर्व में विवेचित किया जा चुका है कि उक्त अधिनियम की धारा 42 एवं 57 की पालना विधि अनुसार की गई है।

20. अतः अब तक की साक्ष्य के विवेचन एवं विश्लेषण से दो बाते स्पष्ट हो चुकी है प्रथमतः अभियुक्त मौके पर मय जब्त शुदा मादक पदार्थ के पाया गया तथा द्वितीय विधि के आज्ञापक प्रावधानों की प्रकरण में पालना भी सुनिश्चित की गई है।

21. इसी क्रम में प्रकरण में जब्त शुदा माल मुद्दा की जब्ती कार्यवाही जमा मालखाना कर व रासायनिक परीक्षण एवं इन्वेंट्री कार्यवाही का प्रश्न है, इस संदर्भ में संबंधित साक्ष्य को देखा गया, इस संबंध में संबंधित गवाह दीपक मेड़तिया, पी. डब्ल्यू. 1 ने स्पष्ट रूप से यह जाहिर किया है कि वक्त घटना बरामदगी अभियुक्त ने अपनी पतलून की दाहिने जेब से एक प्लास्टिक की थैली निकाली जिसमें भूरे रंग का पदार्थ था एवं पतलून की बायी जेब भी एक प्लास्टिक की थैली निकाली जिसमें सफेद रंग का पदार्थ था। भूरे रंग के पदार्थ को अपने पास उपलबध ईलैक्ट्रोनिक मशीन से उसका वजन किया तो उसे 27 ग्राम पाया एवं सफेद रंग के पदार्थ का वजन करने पर उसका वजन 10 ग्राम पाया, उसके बाद उसने दोनों पदार्थों में से 5–5 ग्राम के सैम्पल निकाले और उन्हें मार्का पी–1 एस–1 व पी–1 एस–2 एवं पी–2 एस–1 व पी–2 एस–2 दिया। उसके बाद भूरे रंग के बचे हुए पदार्थ को उसने एक प्लास्टिक की थैली में डालकर सील किया और उसे एक पीले लिफाफे में डालकर सील चपडी किया और उस पर मार्का पी–1 डाला। उक्त समस्त कथनों की ताईद स्वयं उक्त गवाह ने अपनी जिरह के दौरान भी की गई है व जब्ती के समय मौजूद अन्य गवाह गिरधारीलाल, पी. डब्ल्यू. 5 द्वारा भी की गई है। अब प्रकरण में यह देखा जाना है कि जब्त शुदा माल जिसे की जब्ती अधिकारी द्वारा मौके से जब्त किया गया वह सील्ड व इनटेक्ट अवस्था में नियमानुसार मालखाने में जमा कराया गया हों तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने तक सील्ड व इन्टेक्ट अवस्था में रहा हों, अर्थात उक्त कार्यवाही के दौरान बीच में कहीं भी जब्त शुदा माल की सील्ड को टेम्पविद नहीं किया गया हों, इस संबंध में हरीश कुमार, पी. डब्ल्यू. 6 ने अपने सशपथ कथनों में यह जाहिर किया है कि दिनांक 11.06.2015 को दीपक मेड़तियां द्वारा उसके समक्ष इस प्रकरण में जब्त हीरोइन का पैकेट जिस पर मार्क पी–01 था जो सील्ड अवस्था में था एवं 04 सील्ड सैम्पलस जिन पर मार्क पी–01 एस–01, पी–01 एस–02, पी–02 एस–01, पी–02 एस–02 एवं ओमप्रकाश के व्यक्तिगत तलाशी में जब्तसामान का सील्ड पैकेट एवं एक वाहन मोटरसाईकिल सुजुकी सामुराई रजिस्ट्रेशन संख्या आरजे 01 11 एम 1573 उसे मालखाने में जमा करने हेतु सौंपे। जिसके बाद मालखाना रजिस्टर, सैम्पल रजिस्टर, व्यक्तिगत तलासी रजिस्टर एवं जब्ती वाहन रजिस्टर में उचित इंद्राज कर उक्त सभी आर्टीकल्स एवं वाहन को उसके द्वारा मालखाना में जमा किया गया एवं इस बाबत प्राप्त रसीद क्रमशः जरिये प्रदर्श पी–26 व पी–27, पी–28 व पी–29 जारी की गई, दिनांक 11.06.2015 को इस प्रकरण में निकालें गये 02 नमूना सैम्पल पी–01 एस–01, पी–02 एस–01 को परिक्षण हेतु सीआरसीएल नई दिल्ली जरिये विशेष संदेश वाहक कुलभूषण सिंह आसूचना अधिकारी भेजा गया। पत्र के साथ संबंधित सलंग्रक 02 प्रति में टेस्ट मिमो व सैम्पल दो पैकेट में भेजे गये थे। कुलभूषण सिंह द्वारा उसके समक्ष प्रयोगशाला दिल्ली में उक्त सैम्पल दिनांक 12.06.2015 को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–

Authenticated document

36 उसके समक्ष प्रस्तुत की थी। जिस तथ्य को उक्त कुलभूषण सिंह ने पी. डब्ल्यू. 9 के परीक्षण के दौरान स्वीकार किया है। प्रकरण में एफ एस एल रिपोर्ट प्रदर्श पी—32 की पुश्त पर प्राप्त हुई है, उक्त रिपोर्ट में जब्त शुदा माल को सील्ड एवं इन्टेक्ट हालत में जमा कराया जाना स्पष्ट रूप से दर्ज होना दर्शित होता है तथा उक्त फर्द की पैकिंग डिटेल में स्पष्ट रूप से जाहिर किया गया है कि—

> Received two sample packets marked as P1S1 and P_2S1 respectively in sealed and it condition. Each of the two sample packet was found sealed with three lac seals. Impression of each seal affixed on each of the two sample packet tallied with the facsimile of seal as give test memo.
>
> At the time of taking out sample packets from strong room for analysis, the sample packet marked as P1S1 and P2S1 respectively was in sealed and intact condition. Impression of each affixed on each of the two sample packet tallied with the facsimile of seal as given on test memo.
>
> The sample is in the form of heterogeneous mixture of light & dark brown colored coarse powder. On the basis of chemical and chromatographic examinations, it is concluded that the sample under reference ans wers positive test for Diacetylmorphine (Heroin).
> Diacetyln orphine (Heroin) content in the sample (as such) = 33.3%
>
> The sample is in the form of off white crystals and powder. On the basis of chemical chromatographic and spectroscopic examinations, it is concluded that the sample under reference does not answers positive test for Amphetamine, However the sample under reference answers positive test for Mephedrone Hydrochloride.

अर्थात जब्त शुदा माल जब्ती कार्यवाही के दौरान सील्ड किया गया एवं मालखाना में सील्ड अवस्था में जमा कराया गया एवं मालखाने से एफ एस एल सील्ड अवस्था में भेजा गया, इस संबंध में स्पष्ट रूप से साक्ष्य मौजूद है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामले में यह आपत्ति ली गई है कि प्रकरण में बरामद शुदा मादक पदार्थ जिस मात्रा में लिया गया, उस मात्रा में नहीं पाया गया, जिस क्रम में गौरतलब है कि प्रकरण में मादक पदार्थ हेरोइन व एम.डी.एम. ए. दिनांक 10.06.2015 को बरामद किया गया व इन्वेंट्री की कार्यवाही दिनांक 05.04.2016 को सम्पन्न की गई है, जिस दौरान मादक पदार्थ की मात्रा में आठ ग्राम का अंतर होना स्वयं इन्वेंट्री करने वाले अधिकारी आशीष कुमावत, पी. डब्ल्यू. 8 ने पाया जिस संदर्भ में उनके द्वारा अनुसंधानाधिकारी पी. डब्ल्यू. 9 कुलभूषण से पूछताछ की तो उन्होंने जाहिर किया कि नमी की भिन्नता एवं पैकिंग के कारण उक्त वजन में अंतर आया जो उक्तानुसार एक साल की अवधि में की गई इन्वेंट्री कार्यवाही में आना स्वाभाविक प्रतीत होता है, जिस आपत्ति से अभियुक्त को कोई लाभ पहुंचता हों और अभियोजन फैटल होता हों, यह साक्ष्य के आधार पर नहीं पाया जाता है।

22– जहां तक अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि वक्त घटना अभियुक्त का जब्त शुदा वाहन पर मिल्कियत नहीं थी, इस हेतु वह लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। जिस क्रम में अभियोजन पक्ष के साक्षी पी. डब्ल्यू. 4 गणपत सिंह जो कि जब्त शुदा वाहन आर जे 01–1573 का रजिस्टर्ड स्वामी था ने उक्त वाहन वर्ष 2009 में अभियुक्त ओमप्रकाश को बेच दिया जाना जाहिर किया है, जिस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से इकरारनामा प्रदर्श पी–34 को प्रदर्शित करवाया गया है जिससे उक्त तथ्य साबित होते है, जिस इकरारनामा बाबत बेचान पर अभियुक्त ओमप्रकाश रावत के हस्ताक्षर होना भी दर्शित हो रहें है व दस्तावेज से 15 दिसम्बर, 2009 को वाहन का कब्जा गणपतसिंह द्वारा ओमप्रकाश को सुपुर्द कर दिये जाने का तथ्य जाहिर होता है व मादक पदार्थ की बरामदगी दिनांक 10.06.2015 को उक्त वाहन पर जाते हुऐ अभियुक्त से की गई है, अतः वरवक्त घटना उक्त वाहन अभियुक्त के कब्जे में नहीं हो, नहीं माना जा सकता। फलतः उक्त आपत्ति से प्रार्थी/अभियुक्त को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

23– इस प्रकार से प्रकरण में सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त घटनास्थल पर मय मादक पदार्थ हेराइन व एम.डी.एम.ए. के मौजूद था। उक्त समस्त परिस्थितियों के मध्येनजर यह भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अभियुक्त के स्वयं के पहनी हुई पतलून में मादक पदार्थ ना हों और उसे स्थिति का उसे पूर्ण ज्ञान न हों यह नहीं माना जा सकता है। अभियुक्त को स्वयं की आपराधिक मानसिक दशा के बारे में पूर्ण ज्ञान था। अधिनियम, 1985 की धारा 35 में यह प्रावधानित किया गया है कि विधि की मंशा के अनुरूप किसी ऐसे अपराध के किसी प्रयोजन, जिसमें अभियुक्त की मानसिक दशा अपेक्षित है, न्यायालय यह उपधारणा करेंगा कि अभियुक्त की ऐसी मानसिक दशा है, जब तक की अभियुक्त यह तथ्य साबित नहीं कर दें कि अभियोजन ने अपराध के आरोप में आरोपित कार्य के बारे में उसकी मानसिक दशा नहीं थी। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में यह कहीं पर साबित नहीं कर पाया है कि उक्त आपराधिक कार्य के करने की मानसिकता नहीं रही हों, अतः धारा 35 अधिनियम, 1985 के तहत अभियुक्त की मनो दशा के बारे में यही उपधारणा रखी जाऐगी कि उसका ऐसा अपराध कारित करने की मानसिक दशा थी, क्योंकि अभियुक्त की ओर से किसी साक्ष्य का खण्डन नहीं हो पाया है।

24– इसके अलावा अधिनियम, 1985 की धारा 54 में अवैध वस्तुओं के आधिपत्य के संबंध में उपधारणा के बाबत प्रावधान किया गया है। आधिपत्यता के बाबत ए.आई.आर. 1973 पृष्ठ 2309, इन्द्रसेन बनाम पंजाब राज्य में माननीय उच्च न्यायालय ने आधिपत्य का तात्पर्य सर्वप्रथम नियंत्रण, ज्ञान एवं आशय से होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि आधिपत्य तब तक अपराध है, जब कि वह सचेत व जागृत है, अर्थात उस व्यक्ति के ज्ञान में है, जिस पर ऐसा आरोप अधिरोपित किया गया। इस प्रकरण में भी मुलजिम के चैतन्य कब्जे से उक्त मादक पदार्थ की जब्ती प्रमाणित हो चुकी है तथा अधिनियम, 1985 की धारा 54 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत विचारणों से यह उपधारणा की जा सकें कि जब तक कि प्रतिकुल सिद्ध न कर दिया जाऐ कि अभियुक्त पर इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित किया है और आधिपत्य के लिये वह संतुष्टिपूर्वक जवाब देने में असफल रहता है तो अभियुक्त के विरूद्ध उपधारणा ली जाऐगी कि उसने ऐसा अपराध कारित किया है। प्रस्तुत मामले में भी अभियुक्त के चेतन्य कब्जे से जब्त शुदा मादक पदार्थ को बरामद किया गया है, जिसको रखने के बाबत अभियुक्त के पास कोई वैध लाईसेंस या परमिट नहीं पाया गया। अतः ऐसे में मुलजिम के विरूद्ध ही उपधारणा उक्त मादक पदार्थ मुलजिम के व्यक्तिगत कब्जे में होने बाबत ली जाना उचित है। इसी क्रम में धारा 66 अधिनियम, 1985 दस्तावेजों के बारे में उपधारणा का प्रावधान दिया गया है, जिसके अंतर्गत यह उल्लेखित किया गया है कि जब जहाँ कोई प्रलेख अभियोजन पक्ष द्वारा इस अधिनियम के तहत साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है तो

न्यायालय, जब तक की अन्यथा अप्रमाणित नहीं कर दिया जावें तो यह उपधारणा करेंगी कि ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर संबंधित व्यक्ति के है तथा उसी व्यक्ति द्वारा दस्तावेज निष्पादित किया गया है। प्रस्तुत मामले में भी प्रलेखीय दस्तावेज जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये है, उनका खण्डन किसी भी रूप में अभियुक्त द्वारा किया गया हों, ऐसा नहीं है एवं धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी तथ्य का ज्ञान किसी व्यक्ति को हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर है।

25– हस्तगत प्रकरण में उक्त विवेचन के आधार पर सम्पूर्ण साक्ष्य के मध्येनजर न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट है कि जो माल अभियुक्त के चेतन्य कब्जे से बरामद किया गया, यह मादक पदार्थ अभियुक्त की जानकारी में नहीं हो,ऐसी कोई साक्ष्य अभियुक्त ने पेश नहीं की है। गवाहान की साक्ष्य में ऐसी कोई स्थिति उभरकर नहीं आई है, जिससे यह प्रकट हों कि अभियुक्त के पास से पाये गये हेराइन व एमडीएमए होने के संबंध में अभियुक्त को ज्ञान नहीं हों। इस प्रकार अभियुक्त के ज्ञान में एवं आधिपत्य एवं नियंत्रण में उक्त माल रहा, अभियुक्त की उक्त अपराध के संबंध में मनोदशा थी एवं उक्त मनोदशा से ही उक्त मादक पदार्थ को स्वयं के पास बिना किसी विधिक परमिट या लाईसेंश के रखा गया, अतः अभियोजन की साक्ष्य अखण्डित व सिद्ध रही है। उक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि प्रकरण में मादक पदार्थ का सील्ड एवं इनटेक्ट अवस्था में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नियमानुसार जमा किया गया तथा उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–32 टेस्ट मीमो की पुश्त पर प्राप्त हुई, जिसमें बाद परीक्षण हेराइन व मेफेड्रोन होना गया, उक्त मादक को स्वयं के रखे जाने का अभियुक्त के पास कोई वैध लाईसेंस या परमिट नहीं होना पाया गया है।

26– परिणामतः उक्त की गई विवेचना से अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 8/21, 8/22 व 8/25 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का जुर्म बखूबी सिद्ध किया गया है। अतः विचारण हेतु विरचित बिन्दू उपरोक्तानुसार अभियोजन के पक्ष में निर्णीत किया जाकर अभियुक्त ओमप्रकाश को उक्त आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

27– परिणामस्वरूप अभियुक्त ओमप्रकाश रावत पुत्र पन्नासिंह रावत, उम्र 50 वर्ष, निवासी नई बस्ती, पीली खान, लोहागल रोड़, वार्ड नंबर 51, अजमेर, राजस्थान को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 8/22 व 8/25 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(भानु कुमार)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ प्रकरण,
अजमेर (राज.)

Authenticated document

28– सजा के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना गया।

अभियुक्त ओमप्रकाश की ओर से निवेदन किया है कि अभियुक्त लम्बे अर्से से अन्वीक्षा भुगत रहा है तथा भुगति हुई अवधि पर छोड़ा जावें। वजन सही तरीके से नहीं लिया गया, अतः मादक पदार्थ कि मात्रा तय नहीं की जा सकती व अभियुक्त की पूर्व की दोष सिद्धि नहीं है, अतः उसे न्यूनतम सजा से दण्डित किया जावे।

जिसका विरोध विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा यह कहते हुए किया गया कि अभियुक्त के सचैतन्य व संज्ञान कब्जे से मादक पदार्थ हेरोइन व एमडीएमए बगैर अनुज्ञा–पत्र के बरामद हुआ है। वजन के संबंध में विचारण के दौरान किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। मादक पदार्थ की अवैध गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है एवं मादक पदार्थ की तस्करी की घटनाएं भी काफी बढ़ रही है। इसके मध्यनजर अभियुक्त को दीर्घतम दण्ड से दण्डित किया जावे।

हमने दोनों पक्षों के द्वारा रखे गये तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। मेरी विनम्र राय में अभियुक्त को जुर्म धारा 8/21, 8/22 व 8/25 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के जुर्म में दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्त ओमप्रकाश के सचैतन्य व संज्ञान कब्जे में बगैर अनुज्ञा–पत्र के लोक स्थान राम भवन चौराहे, लोहागल रोड, अजमेर पर से 27 ग्राम हेरोइन व 10 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया है, जिसके रासायनिक परीक्षण व समस्त अनुसंधान के संदर्भ में पूर्व में विवेचन किया जा चुका है, अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों व अभियुक्त से बरामद मादक पदार्थ की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है।

दण्डादेश

29– अतः अभियुक्त ओमप्रकाश रावत पुत्र पन्नासिंह रावत, उम्र 50 वर्ष, निवासी नई बस्ती, पीली खान, लोहागल रोड़, वार्ड नंबर 51, अजमेर को धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा रूपये 50,000/– (पचास हजार रूपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी आर्थिक दण्ड अभियुक्त 06 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतेगा तथा धारा 8/22 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा रूपये 50,000/– (पचास हजार रूपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी आर्थिक दण्ड अभियुक्त 06 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतेगा साथ ही धारा 8/25 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा रूपये 50,000/– (पचास हजार रूपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी आर्थिक दण्ड अभियुक्त 06 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतेगा। सभी सजाऐ साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त ओम प्रकाश रावत पुत्र श्री पन्ना सिंह धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नियमानुसार मुजरा प्राप्त करेगा।

अभियुक्त ओम प्रकाश रावत पुत्र श्री पन्ना सिंह को इस निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे। नियमानुसार अभियुक्त ओम प्रकाश रावत पुत्र श्री पन्ना सिंह का सजा वारन्ट

तैयार किया जावे व अभियुक्त को सजा भुगताने हेतु अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को भेजा जावे।

बरामदशुदा मादक पदार्थ हेराइन व मेफेड्रोन बाद गुजरने मियाद अपील सम्बन्धित जिला स्तरीय व्ययन समिति को नियमानुसार निस्तारण हेतु सुपुर्द की जावे। अपील/रिवीजन होने की दशा में उसमें पारित आदेशानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे। प्रकरण में जब्त शुदा वाहन आर.जे.01– 11 एम–1573 को राजसात कर उसकी नियमानुसार नीलामी कराई जाकर राशि राज्य सरकार में जमा हों।

(भानु कुमार)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ प्रकरण,
अजमेर (राज.)

30. निर्णय आज दि. 05 जून, 2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया है।

(भानु कुमार)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ प्रकरण,
अजमेर (राज.)

SHAILENDRA KRISHANA PAREEK
Digitally signed by SHAILENDRA KRISHANA PAREEK
Date: 2026.06.06 09:01:45 +0530

Authenticated document